खण्ड-279, अंक-9
शनिवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1891
(30 अगस्त, 1969 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९०३–९०७
व्यवस्था का प्रश्न	९०८
प्रश्नोत्तर	९०८–९२४
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	९२४
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	९२४–९२७
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९२७
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	९२८–९३७
नेता विरोधी दल द्वारा मुख्य मंत्री से सदन के भावी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी की मांग	९३७–९४१
श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	९४१–९४४
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पारित)	९४४–९४५
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पारित)	९४५–९५५
यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट अ फ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ (पारित)	९५६–९५७
उत्तर प्रदेश राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९ (पारित) ..	९५७–९५९
गाजियाबाद में अजन्ता फिल्म उद्योग की स्थापना करके किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि को अधिगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य की समाप्ति	९५९
देहरादून नगर के बीच ऋषिपर्णा नदी में ट्रैक्टर की ट्राली बह जाने से ४० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	९५९–९६२
रुद्रपुर नगरपालिका, जिला नैनीताल में रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू किये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	९६३
अकबरपुर, जिला फैजाबाद में थाने के करीब हुए कत्ल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	९६३
सुल्तानपुर जिला परिषद् के कार्यों के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार का भाषण ..	९६३
सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (पारित) ..	९६४–९६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, ३० अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ४१०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अर्ताकुर्रहमान, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला ख, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिबेणी सिहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नगीनासिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ़ लाल बाबू)
निहालासिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री

पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी दवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभो, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रमसिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री

शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह कुंवर (उर्फ शैर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनार्थीसिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरमरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्मसिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—श्री मंगला प्रसाद, खाद्य तथा रसद मंत्री भी उपस्थित थे।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए···

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फजाबाद)—

श्रीमन्, प्रश्नोत्तर के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा यह परम्परा रही है। सोमवार से निरन्तर प्रश्नोत्तर के समय व्यवस्था का प्रश्न होने से प्रश्नोत्तर नहीं हो पाते हैं। तो व्यवस्था का जो प्रश्न है वह बाद में लिया जाय।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, ३० अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के शिक्षकों की मांगें

**१—श्री मनोहरलाल (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिग्री एवं पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के शिक्षकों ने मुख्य मंत्री के आश्वासन पर अपना पिछला आन्दोलन स्थगित किया था कि उनकी मांगें मान ली जायेंगी? यदि हां, तो आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये?

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

मुख्य मंत्री जी ने केवल मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था।

श्री मनोहरलाल—

मान्यवर, १० मई को वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि पहली अगस्त, १९६८ की दर पर पहली जनवरी, १९६८ से महंगाई भत्ता एग्रूव्ड पदों पर काम करने वाले शिक्षकों के बराबर दिया जायगा, तो शिक्षा मंत्री जी कृपया बताएं कि इस विषय म कोई राजाज्ञा हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई?

श्री रामजीलाल सहायक—

महंगाई भत्ते के ऊपर विचार हो रहा है और अभी उसके बारे में कहा नहीं जा सकता।

श्री मनोहर लाल—

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री जी ने १० मई को यह बात कही थी और दूसरे, डिग्री कालेजों के शिक्षकों के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में तारीख १ जनवरी के बजाय १ जुलाई क्यों कर दी गयी है?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, और भी निश्चय लिये गये हैं और वह जुलाई से लिये गये हैं, इसलिए यह भी किया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मुख्य मंत्री जी ने मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था, तो किन-किन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनको कार्यान्वित किया जा चुका है?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, उनकी कई मांगें थीं। एक केन्द्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ते की थी। इस पर विचार हुआ लेकिन वह हो नहीं सकता। दूसरी ७४०–१,१०० रु० के वेतन-क्रम की बात थी। इस मांग पर विचार हुआ और इसके बारे में कार्यवाही की जा रही है। तीसरी अनुमोदित पदों को बी० एड० ग्रेड देने की बात थी। यह मांग मंजूर हो गई है और आदेश होने वाले हैं। चौथी मांग अग्रिम वेतन वाली थी वह नामुमकिन है। पांचवीं ज्येष्ठ वेतन-क्रम की बात है वह भी नामुमकिन है, यू० जी० सी० से जब तक मंजूर न हो तब तक नहीं हो सकती। छठीं ४००–९५०–१,२०० रु० वेतन-क्रम के बारे में थी। यह भी साधनों को देखते हुए करना मुमकिन नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय आश्वासन दिया गया था और विश्व-विद्यालय के अध्यापकों ने अपना आन्दोलन वापस लिया था उस समय उनका महंगाई-भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के समान बढ़ाने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था ,क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

केवल मंहगाई भत्ता बढ़ाने की बात तय हुई थी, बराबर वाली बात नहीं तय हुई थी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जो वेतन-क्रम के बारे में विचार कर रही है, और महंगाई-भत्ता केन्द्र के समान करने पर विचार कर रही है, तो यह निर्णय कितने दिन के अन्दर हो जायंगे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अब तो निर्णय जल्दी ही हो जायगा। वह तो बजट की वजह से रुका था।

श्री दीपनारायणमणि (जिला देवरिया)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह मई में कानपुर गये थे और पत्रों में भी निकला था कि ६ महीने में सारे मसले हल कर देंगे, तो इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास किया है और कितना समय और चाहते हैं सारे मसले हल करने के लिए ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, समाचार-पत्रों में क्या निकलता है इसको माननीय सदस्य जानें। मुझे जो कुछ निवेदन करना था वह मैंने कर दिया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर मंत्रियों के वक्तव्य का सारांश समाचार-पत्रों में निकला है और उसका उत्तरदायित्व माननीय मंत्री जी अपने ऊपर नहीं ले रहे है। अगर उसमें गलत छपा था तो उसका खंडन माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं किया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, सभी समाचार-पत्र तो हमें पढ़ने को भी नहीं मिलते।

श्री महीलाल—

श्रीमन्, सूचना विभाग द्वारा मंत्रियों के हर वक्तव्य की कटिंग जो समाचार-पत्रों में छपती है ली जाती है। तो मंत्री जी ने उसको देखा था या नहीं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

कॉटिंग्स कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं और जो आती हैं उन्हें पढ़ने की फुरसत कभी मिलती है कभी नहीं ।

श्री मनोहरलाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षक संघ की जो मांगें हैं उनको मानने में सरकार को हिचकिचाहट क्या है ?

श्री रामजीलाल सहायक—

हिचकिचाहट संसाधनों की ही है, पैसे की कमी है ।

किसानों को गन्ना पेरने की सुविधा देने का सुझाव

**२—ईश्वर दयाल (जिला मेरठ)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६९–७० के गन्ना सीजन में किसानों को निजी खड़े कोल्हू पावर से चलाने के लिये लाइसेंस देने का विचार रखती है। यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक हो जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

१९६९–७० सीजन की नीति अभी विचाराधीन है ।

श्री ईश्वर दयाल—

किसानों का गन्ना सरकार गैर किसानों को कार्मशियल बेसिस पर जब देती है और उनको लाइसेंस देती है तो किसानों को जो कि खुद अपना गन्ना पैदा करते हैं उनको स्वयं गन्ना पेरने की इजाजत देने में सरकार को क्या परेशानी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम इस बात का सर्वे करा रहे हैं कि कुल कितना गन्ना है । हमशा एसा नहीं होता कि हम काश्तकारों को स्वयं गन्ना पेरने की इजाजत नहीं देते । कभी कभी तो काश्तकार स्वयं उसके लिये तैयार नहीं होते और कहते हैं कि मिलों को हमारा गन्ना लेने के लिये फोर्स कीजिये ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पिछले वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलें काफी देर तक चली हैं जिसके कारण गन्ना खेतों में ही काफी समय तक खड़ा रहा और उसके कारण किसान अपनी दूसरी फसल तक बोने में वंचित रह गये, इस बात की इजाजत देंगे कि किसान पावर क्रशर द्वारा अपना गन्ना पेर सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तमाम प्रश्न विचाराधीन हैं । हम जो कुछ करेंगे किसानों के हित में ही करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब सरकार चीनी पर डिकंट्रोल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है तो क्या सरकार ऐसी सूरत में यह भी इजाजत देने के प्रश्न पर विचार करेगी कि रिजर्व एरिया में भी जो खड़े कोल्हू हैं उनसे किसान स्वतंत्रता पूर्वक अपना गन्ना पेर सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम तो काश्तकार के हित में जो सबसे अच्छा होगा उसे करेंगे अगर गन्ने को पेरने और कोल्हू चलाने की आवश्यकता होगी तो हम लाइसेंस देंगे। इसके बारे में आपके सदन की ही एक कमेटी बठी थी और उसने इस पर विचार किया था। अगर माननीय सदस्य चाहें तो उस रिपोर्ट को पढ़ लें उससे उन्हें ज्यादा जानकारी हो जायेगी।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी देवरिया और गोरखपुर की विशेष स्थिति को देखते हुये वहां पर क्रशर चलाने की इजाजत देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस संबंध में विचार हो रहा है कि वहां पर कितना गन्ना है। उसी को देखते हुये विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय उद्योग मंत्री की जानकारी में है कि गत वर्ष प्रदेश में २५ प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ा था। और अब भी चार से पांच प्रतिशत तक क्षेत्रफल बढ़ा है। चीनी का उत्पादन भी पिछले वर्ष के मुकाबले में दस या बारह लाख टन की मात्रा में अधिक बढ़ा है। ऐसी स्थिति में जिन आधारों पर गत वर्ष उन्होंने पावर क्रशर चलाने की आज्ञा दी थी तो अब उन्हें आज्ञा देने में क्या कठिनाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई कठिनाई नहीं है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं। तमाम नीति विचाराधीन है कि कहां पर गन्ना बहुत ज्यादा है। जहां गन्ना बहुत ज्यादा होगा वहां इजाजत दे देंगे। जहां गन्ना कम है, वहां भी गन्ना कितना है, इसको जांच कर रहे हैं और उसके बाद ऐसी नीति बनायेंगे जिसको जानकर आपको भी प्रसन्नता होगी।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में जहां गन्ना ज्यादा है वहां किसानों को बगैर लाइसेंस की पाबन्दी के और बगैर रोकटोक के गन्ना पेरने की इजाजत देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। पर जहां गन्ना ज्यादा होगा वहां इजाजत दे देंगे। पारसाल इजाजत दे दी गई थी।

श्री रामधारी—

अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि देवरिया और गोरखपुर जिलों की विशेष स्थिति है। दोनों जिलों को मिलाकर एक-चौथाई चीनी मिलें वहां पर हैं और क्रशर्स केवल तीन या चार ही हैं। इन जिलों की विशेष स्थिति को विचारते हुये क्या नये क्रशर्स की इजाजत देंगे ? वहां पिछले सीजन में भी गड़बड़ी हुई थी, इसलिये नये आंकड़ों की जरूरत नहीं है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

देवरिया में दो चीजें हैं। जहां तक सुरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर पावर क्रशर में बन्धन भी हैं जहां अरक्षित क्षेत्र हैं वहां बन्धन नहीं हैं। सुरक्षित क्षेत्र में भी गन्ना ज्यादा होगा तो हम इजाजत दे देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री विचार करेंगे कि विभिन्न जगहों में विभिन्न स्थितियां हैं और उसमें बहुत से मिलों का रिजर्व एरिया काफ़ी लम्बा है यानी फैक्टरी गेट से मिल तक रिजर्व एरिया पड़ता है। तो क्या यह ध्यान में रखते हुये कि दस मील से जो ऊपर एरिया है उसमें पावर क्रशर चलाने की इजाजत या छूट दी जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये तमाम प्रश्न विचाराधीन हैं। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम वही काम करेंगे जिस से काश्तकारों का हित हो।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह देखते हुये कि कुछ मिल्स ऐसी हैं जिन्होंने आज तक कीमत का भुगतान नहीं किया है। तो जिन फैक्टरीज ने कीमतों का भुगतान नहीं किया है उनके रिजर्व एरिया में भी वे लाइसेंस देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक मिलों पर बकाया का सवाल है यह बड़े दुख की बात है और उसके लिये हम मेजर्स लेना चाहते हैं उनके खिलाफ कि जिन्होंने गन्ने के दाम नहीं दिये हैं। बाकी हमारी नीति यही है कि काश्तकारों का पूरा गन्ना पिर सके और उनको सहूलियत मिले।

श्री ईश्वर दयाल—

जिन कारणों से सरकार ने पिछले साल सीजन की समाप्ति पर यह लाइसेंस दिये थे वे कारण अब भी विद्यमान हैं। तो क्या सरकार इस विषय में जल्दी ही निश्चय करके पावर क्रशर्स के लाइसेंस देने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आप जानते हैं कि पिछले साल जो कारण थे उनको देखकर ही इजाजत दी गई थी। पहली बार वह इजाजत दी गई थी, इस साल भी अभी हम देख रहे हैं कि वे कारण हैं या नहीं और किसानों का अधिक हित किस में है।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला बरेली)—

आज करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों का बाकी है, ऐसी स्थिति में क्या यह किसानों के हित में न होगा कि गन्ना उत्पादकों को क्रशर से गन्ना पेरने की सरकार इजाजत दे और विचार करे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं तो माननीय सदस्य को एक ही सलाह इस संबंध में दूंगा कि वह कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लें और उसके पढ़ने के बाद उनकी स्वयं यह राय नहीं रहेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

यह देखते हुये कि किसी मिल में तो काफी गन्ना पेरने से रह गया और कहीं मिल पहले से बन्द हो गई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी वहां क्षेत्र का रिजरवेशन करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तक तो हम देख लेते हैं कि कितना गन्ना मिल पेर सकती है उतना रिजर्व कर देते हैं और जितना ज्यादा होता है वहां हम इजाजत दे देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम रिजर्वेशन को बाद में भी इधर से उधर कर देते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, क्या सरकार को मालूम है कि किसानों और मिल मालिकों की खींचतान के बावजूद क्शर के लाइसेंस न देने के कारण पश्चिमी मिलों के क्षेत्र के काश्तकारों को कम दाम में गन्ना देना पड़ा ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

कभी-कभी ऐसा होता है कि गन्ना कितना पैदा होता है और उसमें से मिल कितना पेर सकती है इसके ऊपर यह निर्भर करता है बहुत दिनों तक तो पहले मिलें किसानों को जितने दाम देती रहीं उनको अपना गन्ना पेरने में उतने दाम नहीं मिले और वे चाहते थे कि हमारा मिल में गन्ना जाय ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

क्या मंत्री जी ऐसी कोई नीति निर्धारित करने की घोषणा करेंगे जिससे उसका लाभ उत्पादकों को ही हो और जो बीच में व्यापारी घुस आते हैं उनको न हो, बिजनेसमैन बीच में लाभ उठाते हैं वह न उठा सकें, क्या वह केवल गन्ना उत्पादकों को ही लाइसेंस देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

हमारी नीति यही है कि जिस से काश्तकारों को अधिक से अधिक दाम मिल सके ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने कहा कि सर्वे कराया जा रहा है । गन्ना फरवरी और मार्च में बोया जाता है और मिलों के चलने में सिर्फ २ महीने रह गये हैं । तो अब तक सर्वे क्यों नहीं हुआ है और सरकार ने क्यों निर्णय नहीं लिया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय असरार साहब खेती नहीं करते हैं । गन्ना जब बोया हुआ होता है तो पता लगाया जाता है कि कितना पैदा होगा ।

(व्यवधान)

श्री सियाराम (जिला एटा)---

क्या यह सही है कि मिल मालिकों के कर्मचारियों ने किसानों से कहा है कि तुमने जनसंघ को वोट दिया इसलिये हम तुम्हारा गन्ना नहीं लेंगे और बहुत से किसानों का गन्ना नहीं लिया गया। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन मिल मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आपने तो ऐसा सवाल कर दिया है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कि उनकी क्या नीति है।

श्री सियाराम---

अगर आपको जानकारी नहीं है तो क्या जानकारी हासिल करने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री चेतराम गंगवार---

श्रीमन्, मुझे आपने १-२ सेकेन्ड दिया । मुझको आप सुनते नहीं हैं । सदन का टाइम नष्ट हो रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार की नीति बिजनेसमैनों और पूंजीपतियों को ही लाभ पहुंचाने की है ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री चेतराम गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने किसानों का कोई रकबा फिक्स कर रक्खा है कि उनको लाइसेंस देने के लिये इतना रकबा होना आवश्यक है और तभी उन्हें लाइसेंस दिया जा सकता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर माननीय सदस्य को हमारी नीति का ज्ञान होगा तो उन्हें अवश्य विदित होगा कि हमने यह घोषणा की है कि आगे जितनी चीनी मिलें लगेंगी, वे हम को आपरेटिव सेक्टर में लगायेंगे और लग भी रही हैं । जहां तक गन्ने के पेरने के लाइसेंस का संबंध है लाइसेंस उसी को मिलता है जो एप्लाई करता है । अगर कोई काश्तकार एप्लाई ही नहीं करता है तो उसे कैसे लाइसेंस मिलेगा, लेकिन अगर कहीं काश्तकार भी एप्लाई करें और ....

दूसरा आदमी भी एप्लाई करे तो उसमें काश्तकार को पहले वरीयता देंगे ।

श्री ईश्वर दयाल--

क्या सरकार मिल-मालिकों के दबाव के कारण गन्ना नीति पर विचार नहीं कर पा रही है और खड़े कोल्हू के लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप क्या पूछते हैं ? यह आक्षेप है ?

श्री शिवराज सिंह--

इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में गन्ने की खेती पर पाइरेला तथा गुरदासपुर बोरर का प्रकोप है और जिसके कारण गन्ने की सुकरोज कटटे उत्तरोत्तर इस वर्ष घटती जायगी तो क्या सरकार गन्ने को जल्दी पिरवाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस बात का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि पहले से पिरना शुरू हो जाय और जो ज्यादा गन्ना हो वह समाप्त हो जाय । पिछली दफा जरूर ऐसी दिक्कत आई थीं ।

श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)--

क्या सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि पूर्वी जिलों में जिस तरह से बड़े-बड़े काश्तकारों को गन्ना पेरने के लिये लाइसेंस की सुविधा मिल जाती है उसी प्रकार वह सुविधा छोटे काश्तकारों को भी उपलब्ध हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

पिछली नीति कैसर देने के लिये जो थी वह कैबिनेट से एप्रूव्ड थी और सब लोग जानते हैं कि वह क्या नीति थी । अब जो नीति बनेगी वह इसबात को ध्यान में रख कर बनेगी कि काश्तकार का गन्ना पिर जाय और उसका हित भी हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान केन्द्रीय कृषि मंत्री के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि जिन चीनी मिलों ने किसानों को निर्धारित मूल्य से कम दिया है उन पर वह मुकदमा चलायें, तो क्या सरकार मुकदमा चलायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इस संबंध में सवाल यह होता है कि कौनसा न्यूनतम मूल्य है गन्ने का। वैसे तो ७.३७ मूल्य है और उस से कम दिया गया है तो मुकद्दमा चलाने की बात है। बहुत सी स्टेट्स में महाराष्ट्र तथा मद्रास में तो ८ रुपये है। ७.३७ के भीतर तो मुकदमा चलाने की बात हो सकती है लेकिन उसके ऊपर क्या दाम हो यह सोचने की बात है। मैं इतना यकीन दिला सकता हूं कि जितने काश्तकार के हामी वह हैं उससे ज्यादा हम हैं।

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)--

फैजाबाद तथा सुल्तानपुर जिले में जो गन्ना पैदा होता है उसे मिलें पूरा नहीं उठा पाती हैं तो क्या सरकार वहां के काश्तकारों को क्रशर लगाने की इजाजत देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो यह कई दफा कहा कि जहां गन्ना ज्यादा होगा जरूर देंगे, कोई ऐसा सवाल नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों में कितने पावर क्रशर आपने दिये हैं और पूर्वी जिलों में कितने दिये हैं और जो नीति बनायी जा रही हैं उसमें पूर्वी जिलों का खयाल रखेंगे या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह संख्या तो मेरे पास नहीं है क्योंकि आपने पूछा नहीं था लेकिन यह बात जरूर है कि पश्चिमी जिलों में ज्यादा पूर्व के मुकाबले में।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उद्योग मंत्री जी की जानकारी है कि प्रदेश में ४० प्रतिशत से अधिक गन्ने की फसल है और पिछले वर्ष भी मिल-मालिकान ने १५ दिसम्बर के करीब मिलें चलायी थीं। तो प्रदेश में ज्यादा अन्न पैदा हो सके इस दृष्टि से सरकार इस इश्यू पर अगले महीने में फैसला लेने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बहुत जल्दी ही, शायद ७-८ दिन में ही फैसला ले लेंगे।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

जहां-जहां पीला रोग गन्ने में लग गया है क्या माननीय मंत्री जी वहां पर दिसम्बर तक गन्ना पेरने के लिये किसानों को लाइसेंस दे देंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह देखते हुये कि काश्तकारों का गन्ना भी पिरे हमने कोल्हू पर और बैल पर कोई रोकथाम नहीं लगायी। जो रिजर्व्ड मिल एरिया है उसमें भी अगर काश्तकार चाहे तो कोल्हू और बरेली में खासतौर से बैल से गन्ना पेरा जा सकता है। इसके बाद भी अगर रिजर्व एरिया से बाहर गन्ना है उसके लिये भी कोई रोकथाम नहीं लगाते हैं। रिजर्व एरिया में कुछ कंडीशन्स के साथ जहां ज्यादा गन्ना है वहां हम गन्ने को पेरने की इजाजत दे देते हैं। इस बार भी हम सोच रहे हैं कि अगर ज्यादा गन्ना हो तो कुछ नीति में ढिलाई करें और मिल वालों से कहें कि अपनी मिलें कुछ पहले चलायें।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

अमरोहा मिल पर किसानों के गन्ने का मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये के बकाया है और मिल इस स्थिति में नहीं है कि किसानों को अगले साल गन्ने की कीमत दे सकें। तो उस क्षेत्र में क्रशर के लायसेंस उदारतापूर्वक देने की कृपा सरकार करेगी ताकि काश्तकार जल्दी गन्ने को पेर सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

दो करोड़ तो नहीं है वह तो आपने कुछ ज्यादा कह दिया लेकिन यह जरूर है कि कुछ गन्ने का दाम बाकी है ।

श्री नौनिहाल सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी को पर्सनली मिल कर बता दूंगा कि कितना है । मेरे पास सारा हिसाब है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

तो मैं आपसे बात कर लूंगा ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

मेरे प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया है । जिस गन्ने में परोला रोग लग गया है वहां दिसम्बर के अन्त तक गन्ना पेरने के लिये किसानों को लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

परोला को रोकथाम करने के लिये हम सोच रहे हैं और कुछ उपाय भी इसको रोकथाम के लिये कृषि मंत्री जी ने किये हैं । लेकिन जहां ऐसी परिस्थिति है गन्ने में बहुत ज्यादा परोला है तो उसमें तो हमने कहा कि पिछले साल हमने लोगों को कोल्हू के लायसेंस दिये और इस साल बहुत ज्यादा गन्ना था तो लायसेंस ही नहीं दिये पैसा भी दिया ।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला पिथौरागढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये इस उद्योग को नेशनलाइज करने के लिये केन्द्रीय सरकार को अपनी राय देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब तो कई बार दिया जा चुका है ।

श्री आनन्द सिंह (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हुये कि गन्ना किसानों की एक संस्था गन्ना संघ के नाम से काम कर रही है, गन्ने के बारे में कोई नीति निर्धारित करते समय गन्ना संघ से भी सलाह लेने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जरूर सलाह ले लेंगे ।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अनेक मिलें आपके प्रदेश में ऐसी हैं जो सोसाइटी का गन्ना नहीं ले पाती हैं जिसके फलस्वरूप २०-३० मील दूर की फैक्टरियों को गन्ना देना पड़ता है, जैसे कि पड़रौना और खड्डा मिलें हैं । इसको देखते हुये क्या सरकार रिजर्व एरिया को कम करने की कृपा करेगी और उदारतापूर्वक क्शर के लाइसेंस देने की कृपा की जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आदरणीय सदस्य ने तो एक ऐसा सवाल उठा दिया कि जिसको काश्तकार पसन्द नहीं करते । अगर यह चीज संभव होती कि रिजर्व एरिया कम करके छोड़ दिया जाता है । इससे बढ़कर और कोई आइडियल बात नहीं होती । लेकिन मेरे पास बहुत से ऐसे डेप्यूटेशन आते रहते हैं जिनमें कोई भी आदमी अपने रिजर्व एरिया को कटाने के लिये तैयार नहीं होता । बहुत से लोग तो इसलिये आते हैं कि यह एरिया और जोड़ दिया जाय । आप चाहें तो २-४

यूनियन्स का नाम मैं दे सकता हूं। एक भी यनियन ऐसी नहीं है जो यह कहती हो कि उनका एरिया काट दिया जाय। फिर भी इन सब बातों पर विचार करते हुये जहां बहुत ज्यादा गन्ना होगा, वहां एरिया कम करने की कोशिश की जायगी और जिनको क्रशर की इजाजत दी जा सकेगी, वह दी जायगी।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

शाजापुर की फैक्ट्री केवल ८०० टन गन्ना ही ले पाती है, इसको देखते हुए क्या मंत्री जी रिजर्व एरिया का कम करके क्रशर के द्वारा पेरने की इजाजत देंगे और जो क्रशर हैं उनको हाइड्रोलिक करने की कृपा करेंगे। इसके अलावा जो रिजर्व एरिया को छोड़ कर बाहर से गन्ना लाया जाता है, उसकी रोकथाम करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां रिजर्व एरिया बहुत ज्यादा होगा, वहां पर विचार करके उसको कम करने का प्रयत्न करेंगे और उस गन्ने को क्रशर से पेरने की इजाजत भी देंगे। जहां तक यह सवाल है कि बाहर के गन्ने को परने की इजाजत न दी जाय। इसमें दिक्कत यह कि वह भी किसानों का ही गन्ना है। कहीं ज्यादा हो जाता है तो उसको भी पेरने की इजाजत दे दी जाती है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन, इस प्रदेश में पश्चिमी जिले में पावर क्रशर ज्यादा हैं और पूर्वी जिलों में नहीं हैं मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी जिले जैसे गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती आदि जिलों को मद्देनजर रखकर पावर क्रशर को सुविधा विशेषतौर से देने की कृपा करेंगे ताकि वहां के किसानों के गन्ने को खपत समय से हो सके। अगर मिलों को गन्ना जाता है तो गर्मियों में शुगर कांटेन्ट घट जाता है। तो क्या मंत्री जी इस संबंध में विशेष छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन, सारे प्रदेश के लिये एक नीति नहीं बनती है बल्कि कितना कहां पर गन्ना है और वह कब तक पेरा जा सकता है तथा काश्तकारों के हित में क्या है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रख कर नीति बनती है। कभी भी एक नीति सारे प्रदेश के लिये नहीं बनती है। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां रिजर्व एरिया नहीं हैं, वहां के लिये क्या सवाल है।

कोनयार्न को बिक्री-कर से मुक्त करने की मांग

**३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मोजों के बनाने में काम आने वाले कोनयार्न पर कब और किस वर्ष बिक्री-कर लगाया गया ?

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

कोपों और कोनों पर लपेटे हुये ऊन के सूत पर चालू वित्तीय वर्ष में १ जुलाई, १९६९ से बिक्री-कर लगाया गया है।

*४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या वित्त मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार कोनयार्न को बिक्रीकर से मुक्त करने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या सरकार को पता है कि यह उद्योग पहले बंगाल का था इसके बाद १९४७ के आस-पास उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और इसका विकास यहां पर हो रहा है। क्या यह सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

आंशिक रूप से सही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

माननीय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिहार और बंगाल सरकार ने कोनयार्न से बने हुये उत्तर प्रदेश के माल का मुकाबला करने के लिये अपने-अपने प्रदेश में कोनयार्न पर से बिक्री-कर माफ कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

कोनयार्न क्या चीज है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, यह एक धागा है जो मोजे बनाने के काम में आता है । इस उद्योग का हमारे यहां विकास होने के बाद हमारे माल का मुकाबला करने की गरज से बंगाल और बिहार ने अपने यहां इस पर से बिक्री-कर समाप्त कर दिया है क्या यह सही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

श्रीमन, बंगाल और बिहार में नहीं हैं लेकिन जितने राज्य अपने प्रदेश से मिले हुये हैं जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में इस पर बिक्री-कर है ।

श्री आशाराम इन्दु (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जब स्वर्गीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम वित्त मंत्री थे तो होजरी और कोनयार्न पर से टैक्स इसलिये हटाया था कि यह व्यापार पनपे तो फिर यह टैक्स क्यों लगाया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

माननीय, ५६ में यह टैक्स हटाया गया उस समय हाफिज जी वित्त मंत्री थे । अब इसलिये लगाया गया कि दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा ऐतराज इस बात पर था कि हमारे यहां एक प्रतिशत है, पंजाब में तीन प्रतिशत है, हरियाना में एक प्रतिशत है, राजस्थान में २ प्रतिशत है और मध्य प्रदेश में तीन प्रतिशत है । दिल्ली सरकार बार-बार कहती थी कि आप अपने यहां बिक्री-कर नहीं लगाते तो हमारा व्यापार चौपट होता है । इस बिक्री-कर के सम्बन्ध में हम लोगों के यह मस्तिष्क में है कि आस-पास के राज्य मिल कर चलें तो हमें अधिक बिक्री-कर मिले । इस भावना से प्रेरित होकर हमने दोबारा लगाया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या यह सही नहीं है कि इस टैक्स के लगाने की वजह से बिहार और बंगाल होजरी उद्योग के मुकाबले हमारा उद्योग पिट रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

इस उद्योग से सम्बन्धित बहुत से व्यापारी मुझसे मिले थे । मैंने आश्वासन दिया था कि मैं इस दृष्टिकोण से देखूंगा । अगर वाकई में यह बात सही साबित हुई जो मेरे मित्र कह रहे है, तो पुनः सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बिहार के अन्दर टैक्स मुक्त है ही, और यह उद्योग ऐसा है जिससे हमारे कुटीर उद्योग का सम्बन्ध है, क्या पूर्ण रूप से इस टैक्स को समाप्त करने पर तुरन्त विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

मैंने अभी निवेदन किया। मैंने यह कहा कि बहुत सारी चीजों को सामने रख कर विचार करना पड़ेगा और आवश्यक होगा तो सरकार उचित कदम उठायेगी।

श्री हिम्मत सिंह––

मन्त्री जी ने बताया कि इसका ह्रास हो रहा है। जब आप समझते हैं कि ह्रास हो रहा है और दिल्ली सरकार दबाव दे रही है। तो क्या ह्रास रोकने के लिए शीघ्र से शीघ्र कदम उठा कर टैक्स खत्म करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

मैंने यह नहीं कहा कि ह्रास हो रहा है। म समझा नहीं क्या आपने कहा। ह्रास या लास शब्द मेरे मुंह से नहीं निकला।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)––

क्या वित्त मंत्री को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है कि कुटीर उद्योगों पर कर न लगाया जाय जिससे कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग पनप सकें और इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी नीति है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय ? यदि नीति है तो क्या माननीय मंत्री मोजा उद्योग पर जो कर लगाया गया इसे वापस लेने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

इस सरकार की नीति नहीं है कि सभी कुटीर उद्योगों पर कर न लगाया जाय। सारे भारतवर्ष म ऐसी नीति नहीं है। बहुत से कुटीर उद्योग ऐसे हैं, जैसे चूड़ी का उद्योग, यदि इस पर बिक्री-कर हटा दें तो जितनी अधिक क्षति राज्य सरकार को होगी उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

क्या सरकार ने अभी-अभी फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के बढ़ाने के लिए कच्चे माल से बिक्री-कर को हटाया जाय? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी कोनयार्न पर से बिक्री-कर हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष––

यह कच्चा माल है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल––

कच्चा माल है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य––

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनके अन्तर्गत २३ फैक्टरियों पर से अभी हाल में कच्चे माल पर से बिक्री कर हटाया है। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कोनयार्न पर बिक्री-कर के प्रश्न को कई दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। तब इस पर कुछ निश्चय लिया जायगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

मान्यवर, क्या यह सही है यह मोजे जो तैयार होते हैं, तो मोजों पर पहले से ही बिक्री-कर पड़ा था और इसके लग जाने से इस इण्डस्ट्री पर दोहरा कर पड़ रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

माननवर, तैयार मोजों पर तो नहीं है। यदि कोनयार्न पर है तो मैं नहीं समझता यह दोहरा कैसे हो गया ? इस पर तो केवल एक प्रतिशत है।

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय की 'ग्रन्थालय विज्ञान शास्त्री डिग्री'

**५--श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर) तथा श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से ग्रन्थालय विज्ञान शास्त्री (बेचलर आफ लाइब्रेरी साइन्स) की कक्षायें खोलने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की ग्रन्थालय विज्ञान शास्त्री की डिग्री को भी मान्यता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामजीलाल सहायक--

जी नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री जी को पता है कि १५ मई, सन् ६९ को उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव श्री जी० के० जोशी ने एक परिपत्र जारी करके कहा था कि प्रादेशिक कानन क तहत या केन्द्रीय कानून के तहत यहां पर जो विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा दी गई उपाधियों को सरकारी नौकरियों में मान्यता दी जायेगी ?

श्री रामजीलाल सहायक--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

एक सदस्य--

मंत्री जी ने कहा कि उन्हें सूचना की आवश्यकता है, तो मैं उन्हें जी० ओ० पढ़कर सुनाए देता हूं--इन दी केस आफ डिप्लोमाज--

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको इजाजत नहीं दी इसकी। मैं अब आगे बढ़ गया हूं, ज्यादा से ज्यादा आप इसे मंत्री जी के पास भेज दें। (फिर भी बोलने का प्रयास करने पर) देखिए यही आपकी ज्यादती है, मैं रोकता हूं और आप मानते नहीं हैं।

झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर के कर्मचारियों का वेतन

**६--श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

क्या विद्युत मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर का १५ दिसम्बर, १९६२ को राष्ट्रीयकरण हो गया है ? यदि हां, दो कंपनी के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचरियों के समकक्ष सुविधाएं देने के विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो निकट भविष्य में सरकार क्या करने जा रही है ?

उप-मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

भूतपूर्व झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि०, गोरखपुर का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया परन्तु १५ नवम्बर, १९६२ को इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट १९१० की धारा ४(२) के अन्तर्गत उसका लाइसस कंपनी की ही सहमति से रिवोक कर दिया गया। उसके कर्मचारी भी परिषद् में ले लिए गये परन्तु इसकी सूचना कि किन शर्तों के साथ वे लिए गए प्राप्त करने में समय लगेगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुब--

कर्मचारी सन् ६२ से ही परिषद् में ल लिए गए तो किन शर्तों पर लिए गए यह प्रश्न था, वह कागज तो परिषद् में होगा, उसकी सूचना यहां पर जल्द मंगाने में मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कठिनाई कुछ नहीं है, सूचना मंगाई गई है। यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था, अभी सूचना नहीं आई है। पिछली बार बजट में भी मैंने कहा था कि जिन शर्तों पर कम्पनी में कर्मचारी रहते हैं उन्हीं शर्तों पर उन्हें अन्डरटेकिंग में ले लिया जाता है। इसमें शायद देर हो गई।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

सीधी सूचना थी। जब लिए गए तो किन शर्तों पर लिए गए, उन शर्तों की सूचना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उपलब्ध होगी। उनकी सूचना यहां तक मंगाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७२ घंटे की नोटिस पर होता है। इस कार्य के लिए ३ दिन बाधक नहीं हैं। इतने समय में आने में क्या कठिनाई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कठिनाई कुछ नहीं है। १-२ दिन में आ जायेगी। इसमें न तो कोई बदनियती है न कोई छिपाने की बात है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वे अन्डरटेकिंग के विद्युत् कर्मचारियों को समान वेतन देने के लिए व्यवस्था करायेंगे, राज्य कर्मचारियों के समान ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह आश्वासन की बात नहीं है। यह तो मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो लेता है, उसके अपने नियम हैं, कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से वह लेता है। एक कम्पनी की कंडीशन्स आफ सर्विस एक तरह की होती है और दूसरी की दूसरी तरह की। किन शर्तों पर किस कम्पनी के कर्मचारियों को किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लेता है यह वह तय करता है। उस विषय में सूचना मंगाई गई है। आ जाने पर बता दी जायेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--

मेरी सूचना यह है कि इन कर्मचारियों को अभी भी जो सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए वह प्राप्त नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को मानकर इस बात की इन्क्वायरी करायेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ६ वर्ष बीतने पर भी वे सुविधा क्यों नहीं दीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जिस अन्डरटेकिंग में जो था और वहां जो उनको सुविधा मिलती थी वही सुविधा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देता है। इसके अलावा अपने यहां जो सुविधा दी जाती है उनके ऊपर भी वह विचार करता है। जिस शर्त पर वह वहां रहा है उसी शत के मुताबिक उन फैसिलिटीज को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्वीकार करता है।

श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो राष्ट्रीयकरण का सिद्धान्त है वह उत्तर प्रदेश के और नगरों में भी लागू करने का विचार कर रहे हैं जैसे मिर्जापुर में?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। असल में ऐसा होता है कि यह तय कर देते हैं कि जो लाइसेंसी है उनका लाइसेंस जब खत्म हो जायेगा तो उसको हम ले लेंगे। १५, १६ ऐसी कम्पनियों को लिया गया है। यह झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर जो है इसने खुद अपने लाइसेंस को खत्म कराया नहीं तो इसका लाइसेंस ७६ तक था। इसने ६२ में ही खत्म करा दिया और उसने कहा कि हम नहीं चला सकते हैं इसको सरकार ले ले। आगे जिनके लाइसेंस खत्म होते जाते हैं उनको लेते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको चलायेगा।

श्री विजय बहादुर सिंह--

इलेक्ट्रिसिटी का जो कन्ट्रैक्टर होता है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। तो यदि वह कम्पनी का कन्ट्रैक्टर शर्तों के अनुसार काम न करे और ऐसा काम करे जो गैर-कानूनी हो तो सरकार उस कम्पनी को लेने का विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यदि कम्पनी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो बताया जाय। उसको देखा जायगा कि उसमें कानूनी ढंग से क्या किया जा सकता है।

गंगा महेवा बांध में दरार

**७--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में अतिवृष्टि के कारण गंगा महेवा बांध में पड़ गई दरार को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा तुरन्त क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

गंगा महेवा बांध का आंशिक जल मुख भाग मील ७-४ से मील ७-५ तक कट गया है। बांध को अभी तक कोई संकट नहीं है। और यह सुरक्षित है।

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि थोड़ा सा कटाव हुआ है, और वर्षा अभी समाप्त नहीं हुई है आगे संकट हो सकता है और हानि हो सकती है तो उस सम्भावित संकट से बचने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह ठीक है कि उस एरिया में गंगा का स्तर बढ़ रहा है और बांध अभी सुरक्षित है परन्तु खतरा तो है ही, उसके लिये कार्य वाही की जा रही है। इस बार बाढ़ से बचने के लिये ६० हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। ३९ बल्ली स्पर ४.२ मील से ७.४ मील तक बन चुके हैं। रेत के बोरे भी डाले जा चुके हैं। जो क्षति ग्रस्त एरिया है उस पर मिट्टी डाली जा चुकी है और मिट्टी का मजबूत काम किया गया है। पुरानी बल्लियों की मरम्मत की जा चुकी है। आशा है यह खतरा नहीं आयेगा। सब प्रबंध हो गया है।

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स

**८--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स २ वर्षों से प्राविधान होते हुये अब तक प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालज, इलाहाबाद में फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष १९६७-६८ में दे दी गई थी, लेकिन कोर्स को प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक साज-सज्जा को अभी तक क्रय न किये जा सकने के कारण इस कोर्स को प्रारंभ करना सम्भव नहीं हो सका है ।

टेक्निकल परीक्षा के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का पुनः प्रवेश

**९---श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि टेक्निकल परीक्षा के अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें पुनः प्रवेश नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके प्रवेश के लिये कोई ऐसा नियम बनायेगी जिससे उन्हें पुनः प्रवेश मिल सकें ?

श्री रामजीलाल सहायक--

परिषद् द्वारा ली जाने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर प्रत्येक छात्र को संस्थागत छात्र के रूप में पुनः प्रवेश का अवसर दिया जाता है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के मनोनीत सदस्य

**१०--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री हरिवंश (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि इस वर्ष १९६९-७० में राज्य सरकार ने लखनऊ विश्व-विद्यालय कोर्ट के लिये किन-किन व्यक्तियों को मनोनीत किया है और उनकी शैक्षिक योग्यता तथा इस समय अवस्था कितनी है ?

श्री रामजीलाल सहायक--

लखनऊ विश्वविद्यालय की कोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा कोई नामांकन नहीं किया जाता ।

**११--श्री गयाप्रसाद तथा श्री हरिवंश--

क्या यह सही है कि कुछ ऐसे लोगों को भी मनोनीत किया गया है जिनके ऊपर एक स्थानीय डिग्री तथा इन्टर कालेज के प्रबन्धक की हैसियत से राज्य सरकार के आडिट विभाग ने धन के अपव्यय आदि के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मनोनयन किस आधार पर किया गया ?

श्री रामजीलाल सहायक--

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के वेतन मान संबंधित प्रस्ताव

**१२--श्री शिवराज सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने एक मत होकर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के वेतन मान सम्बंधित प्रस्तावों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा श्री राज्यपाल महोदय को दिसम्बर, १९६८ में शासन की स्वीकृति हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

जी हां, मुख्य न्यायाधीश से इस सम्बन्ध में एक पत्र दिसम्बर, १९६८ में प्राप्त हुआ था। सरकार ने सभी प्रस्तावों पर भलीभांति विचार किया परन्तु उन्हें स्वीकार करना सम्भव न हो सका ।

सिंचाई विभाग में ट्रेसरों के पद का स्थायीकरण

**१३--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में ट्रेसर पद पर कार्य करने वाले लोगों की अस्थायी सर्विस को स्थायी बनाने तथा नियम में उन्हें पेंशन देने के बारे में विचार करने को सरकार तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। सिंचाई विभाग में ट्रेसरों का भी स्थायी कैडर है, परन्तु कुछ पद अस्थायी भी हैं। अस्थायी पदों को स्थायी बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

ट्रेसरों की सेवा पेंशन योग्य है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मेरा आठवां था और ८ तक भी आप नहीं पहुंच सके हैं। इसमें हमको बड़ी कठिनाई होती है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही कहा था, लेकिन जब सभी शक्कर के पीछे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। उसमें मीठा ज्यादा होता है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)--

एक व्यवस्था चाहता हूं। मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया था, वह आज होना चाहिए था, आपके सामने आ चुका है, क्या कारण है कि वह आज भी नहीं रखा गया जबकि उसके बाद वाले रखे गए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

थोड़ा-सा कष्ट करें। यहां तो उत्तर नहीं दे सकूंगा, मैं जानकारी मंगा लूंगा और उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ४ प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

एक-एक उठाएं और उसका उत्तर लेते जायं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

चारों एक साथ हो जायं तो अच्छा होगा। मान्यवर, २६ तारीख को....

श्री अध्यक्ष--

पुराना सवाल नहीं उठा सकते हैं, कई सवाल उठ चुके हैं इस तरह के।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आप सुन लें। विपक्ष के पूरे सदस्यों के साथ मेरा निष्कासन अवैध था। उसी के साथ-साथ हमारा निलम्बन भी अवैध था। जो प्रक्रिया निलम्बन की दी है उसका पालन नहीं किया गया। हमारी अनुपस्थिति में बिना हमको बचाव का या सुनने का मौका दिये हुए हमें निलंबित कर दिया गया। इजाजत दें तो तथ्य बयान कर दूं उस घटना के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष--

ये सब सवाल नेता विरोधी दल ने उठाए हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

लेकिन हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसी के रिड्रेस के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। हम कहां मौजूद थे? हमको मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप लिख कर दीजिए, मैं रिड्रेस करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इसलिए व्यवस्था का प्रश्न है कि उसमें कई चीजें जुड़ गई हैं। उस दिन करीब-करीब पौने ग्यारह बजे के मैं इस सदन में आया....

श्री अध्यक्ष--

औचित्य का प्रश्न जो होता है तो वह "इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसम ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।"

एक यह है कि जो प्रश्न चल रहा हो उसके संबंध में हो। ये सब प्रश्न एक दफा उठाए जाते हैं, उनके उत्तर दिये जाते हैं तो बार-बार हर एक सदस्य उसको नहीं उठा सकता। आपके नेता विरोधी दल ने ये सब प्रश्न उठा दिये थे। उसके बाद अब व्यक्तिगत आपका है, तो उसके लिये मैंने कह दिया कि जिनके साथ कोई ज्यादती हुई है और वह चुप बठे रहे हों, बाधा न डालते रहे हों तो मुझे लिखें, मैं उनके लिये रिग्रेट एक्सप्रस कर दूंगा। तो इसलिये अब व्यवस्था का प्रश्न न उठाया जाय, व्यवस्था मैंने दे ही दी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

जिन नियमों का हवाला दिया गया किसी रूल के इंटरप्रिटेशन के सिलसिले में उसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है, वह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

वह खत्म हो चुका...

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आज निलंबन और निष्कासन के बाद पहली दफ़ा यहां आया हूं इसलिये....

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों आये? इसीलिये आये कि इसके ऊपर चर्चा होकर यह तय हुआ कि निलंबन खत्म हो गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जिस तरह से वह प्रस्ताव यहां उपस्थित हुआ है, जिस तरह से वह लाया गया और स्टेप्स लिये गये वह तो है ही, उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। पहली दफ़ा आये हैं, अब अगर नहीं उठा सकते हैं तो हमें कभी इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—

मुझे आप लिखकर भेज दें तो मैं इंक्वायरी करूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं कम से कम समय लूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का थोड़ा समय इस विषय में इस कारण से लेना चाहता हूं कि जब आपने यह निर्णय दे दिया कि निलम्बन लोगों का ठीक हुआ था और आपने अपनी रूलिंग के संबंध में भी वह अनुदेश दे दिए थे कि वह ठीक थी उसके उपरान्त आपके आग्रह पर मैंने यह बात स्वीकार की थी कि वे साथी जो कि सदन के बाहर उस दिन उन कारणों से भेजे गये थे जिनकी चर्चा यहां हुई थी वे अब वापस बुला लिए जायं। यह समझकर कि यह मसला बिलकुल खत्म हो गया अपने प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ मैंने कल प्रस्तुत किया था। अब यह प्रश्न फ़िर से उठाया जाता है और जो बात तय हुई और तय होने के बाद प्रस्ताव पास हुआ यह उस प्रस्ताव की भावनाओं के विपरीत बात है। किसी विषय के लिये जो सदन के समक्ष उठा हो कोई न कोई अन्तिम रूप अवश्य सदन को देना चाहिये और आपको देना चाहिये। सदन ने वह अन्तिम रूप उस दिन आपके निर्णय के बाद दे दिया। इसलिये आपके द्वारा विनम्रतापूर्वक मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उस विषय को हम आप क्लोज्ड चेप्टर मानकर यहां सदन में कार्य करें और उस अप्रिय घटना की चर्चा न करें और अपने-अपने विषय को लेकर फिर से प्रश्न को उठाने की चेष्टा न करें। इससे न तो सदन की गरिमा बढ़ती है और न सदन की मर्यादाओं की रक्षा होती है। इसलिये आपके द्वारा मैं यह प्रार्थना माननीय जायसवाल जी से करना चाहता हूं कि जो चीज अब क्लोज हो गई है वह अब क्लोज समझी जाय और वह चीज अब सदन में उठाई न जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री के प्रति बधाई और धन्यवाद दोनों व्यक्त करता अगर यह मामला मेरे साथ जायज होता, कानूनी होता लेकिन चूंकि यह जायज और कानूनी नहीं हुआ है इसलिये जैसी वह अंग्रेजी की कहावत है कि आई कैन गिव लिटिल थेंक्स टु हिम, अर्थात् धन्यवाद या बधाई नहीं दी जा सकती।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि वातावरण अच्छा हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बिलकुल अच्छा रहेगा। अगर लोग ठंडे दिल से विचार करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल ऐलान कर दिया था कि यहां हम एक कमेटी बैठायेंगे और उसमें सदन की मर्यादा सदस्य कैसे रखें और उसमें खास तौर से विचार करेंगे कि सदन में कभी भी पुलिस लाने की आवश्यकता न पड़े क्योंकि यह दुःखद बात है। तो इस कमेटी के सामने सभी प्रश्न उठ सकते हैं और उसमें बोलने का मौका मिलेगा। सदन का आज काम ऐसा है जिसके लिये यह तय हुआ था कि ३० तारीख को खत्म हो जायगा। दो विधेयक ऐसे हैं जो आर्डीनेन्स वाले हैं और

यह तय हुआ था कि आज ३० तारीख को काम खत्म हो जायगा। गांधी जी भी आये हुए हैं और-और भी सदस्य होंगे, जो निलम्बित किये गये थे, जो बोलना चाहेंगे। अगर सभी बोलने लगे तो फ़िर मैं समझता हूं पूरा दिन उसी में खर्च हो जायगा। अगर आप लिखित दे दें तो उस चीज को कमेटी के सामने रख दूंगा। वहां उस पर विचार हो जायगा। एक चीज कह ही चुका हूं कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा। अगर व्यक्तिगत ज्यादती किसी के साथ हुई है तो मैं माफ़ी मांग लूंगा, लिखित मांग लूंगा। ऐसी हालत में सदन का जो और कार्य है उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिये। वैसे अगर चर्चा करनी है तो करिये हमारे नेता विरोधी दल भी हैं, अगर वह कुछ कहना चाहें तो कह लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमको समय बांधकर दो, चार मिनट दे दें, उसी में अपना भाषण खत्म कर लेंगे। अगर आप समय नहीं देंगे तो जो ज्यादती मेरे साथ हुई है उसमें और इजाफ़ा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

पांच-पांच मिनट मैं आपको दे दूं।

एक सदस्य—

जब भी ऐसे सवालों पर बात होती है तो गरमागरमी हो जाती है। जब आपने एक कमेटी बनवा दी है तो फ़िर वहां मौका मिलेगा ही। आप उसी व्यवस्था को कायम रखें और जो जरूरी काम हैं उनको आज किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पांच-पांच मिनट उनको हैं जो निलम्बित किये गये थे।

उद्योग मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

आपकी आज्ञा से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि पांच-पांच मिनट सब को दे दिये तो कोई समय नहीं बचेगा। आप कोई समय निश्चित कर दें आधा घंटा या पन्द्रह मिनट और इस पर उस समय में चर्चा हो जाय। अगर पांच-पांच मिनट दिये तो दो-तीन दिन चाहिये। आज अन्तिम दिन है। अगर बाद में यह गिलोटिन होगा तो माननीय सदस्य ऐसा नहीं चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा। माननीय सचिव एक सूचना देंगे।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६९ जो विधान सभा द्वारा २८ अगस्त, १९६९ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफ़ारिश के २९ अगस्त, १९६९ को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न—(क्रमागत)

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

आपने मेहरबानी की है कि पांच-पांच मिनट उन सज्जनों को बोलने के लिये दिया है जो निलम्बित हुये थे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे बी० के० डी० के जो सदस्य हैं इससे सम्बन्धित वे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। उनका समय भी जायसवाल जी को दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारी तरफ़ से चार आदमी निकाले गये थे, तो उनका भी समय उसी में जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं होगा। यह गलत बात है। जिनके साथ ज्यादती हुई हो वे स्वयं अपना विचार व्यक्त करें तो अधिक अच्छा हो। श्री जायसवाल जी, आप १५ मिनट समय लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, लगभग पौने ११ बजे, २६ तारीख को, मैंने इस सदन में प्रवेश किया। उस समय यहां अफरातफरी की हालत थी और सरकारी पक्ष और विपक्ष के बीच में जो जगह है उसमें सब पुलिस वाले और पी० ए० सी० वाले भरे पड़े थे। जब मैं यहां आया तो मुझे यह देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर भी मैं अपनी जगह पर बैठ गया और इधर जो लोग बैठे हुए थे उनसे और अपने साथियों से भी कहा कि आप यहां शान्ति से बैठें, यह क्या हो रहा है। इसी बीच श्री रामदुलारे पांडेय, एस० एस० पी०, लखनऊ और इस सदन के मार्शल साहब मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने आपको निकल जाने का आदेश दिया है। मैंने कहा कि मैं तो यहां था भी नहीं, मैं तो अभी आया हूं, मुझे निकल जाने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि सारे विपक्ष के लोगों को सदन खाली करने का आदेश हुआ है। मैंने कहा कि यह सम्भव नहीं है, यह हो ही नहीं सकता और अगर हुआ भी है तो यह गैर-कानूनी है। जब आदेश हुआ उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। इसलिये मुझको न निकालें और मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। अगर अध्यक्ष महोदय कहते हैं तो हम बाहर चले जायेंगे। मान्यवर, आप अपने अधिकारियों से इसकी जांच कर सकते हैं। श्रीमन्, चारों तरफ से आपको लोग घेरे हुए थे इसलिये आपसे बातचीत कर सकना सम्भव नहीं था। दुर्भाग्य से यहां के सारे लाउड स्पीकर्स डिसकनेक्ट कर दिये गये थे। आपसे किसी भी हालत में कनेक्शन स्थापित करना सम्भव नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको मालूम है कि मेरे ऊपर कुछ चीजें भी फेंकी जा रही थीं? आप नहीं देख सके होंगे। मेरे पास जो खड़े थे वे सब मुझे बचाने के लिये थे।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उस वक्त किसी तरीके से आपसे कनेक्शन स्थापित करना सम्भव नहीं था तो मैं खामोश यहां बैठ गया। आप यह जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस सदन का एक-एक मिनट, एक-एक सेकेंड उन तमाम कामों में खर्च हो, जिनके लिये यहां के कार्यक्रम तैयार होते हैं। मेरी हमेशा यह कोशिश रही है। लेकिन उस दिन जिस तरह से लोगों को टांग-टांग कर सदन के बाहर निकाला गया, वह उचित नहीं था। मुझे जबरदस्ती यहां

मे घसीट कर बाहर निकाला गया और उस घसीटने से आप देख सकते हैं कि मेरे शरीर के कई हिस्से में चोट लगी है और आज भी हाथ पर स्वेलिंग है। गुप्ता जी के सेटिस्फेक्शन के लिये मैंने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना करा लिया है और हमारे और अन्य साथियों ने भी अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना करा लिया है। इस तरह से पुलिस ने जबरदस्ती टांगकर बाहर निकाल दिया। मान्यवर, बाराबंकी के बुजुर्ग श्री मुस्तफा कामिल किदवाई, जो अम्बेसडर भी रह चुके हैं और श्री रामचन्द्र विकल जैसे लोगों को भी बाहर पकड़ कर जबरदस्ती निकाला गया जो कि कुछ बोल भी नहीं रहे थे। जहां तक नियम की बात है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि विपक्ष के सभी सदस्यों को एक साथ निकाल दिया जाय। जिस नियम का आपके आदेश में हवाला दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष--

नियम के सम्बन्ध में न कहें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

नियम १९८ के अन्तर्गत आपको एडीशनल पावर दिया गया है वह यह है कि आप बजट को वक्त के भीतर पास करा दें न कि पूरे विपक्ष से सदन को खाली करा दें। मेरी अदब के साथ गुजारिश है कि नियम १९८ के मातहत आप किसी को निकाल ही नहीं सकते। उसके अन्तर्गत जो एडिशनल पावर आपको दिया गया है वह केवल इसी हद तक सीमित रहता है कि आप चाहें तो बजट की किसी मांग पर चर्चा न करायें। यह आपको अख्तियार मिल जाता है, उसके लिये समय निर्धारित कर दें जिससे समय से पारित हो जाय, सदस्यों के बोलने की सीमा बांध दें। जो नियम को बनाने वाले थे, संविधान की रचना करने वाले थे, वह यह कभी सोच ही नहीं सकते थे और न उसका यह मतलब है कि उसका सहारा ऐसे काम के लिये लिया जाय जिसकी न संविधान इजाजत देता है और न नियम देते हैं। अगर ऐसा मान लिया जाय तो फिर जनतंत्रीय कार्यवाही चल ही नहीं सकती क्योंकि किसी बहाने विपक्ष के सारे लोग उन नियमों के अन्तर्गत हमेशा बाहर किये जा सकते हैं तो यह मतलब नहीं है उसका। जो सरकारी पक्ष में बैठते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी नियम को पढ़ें तो जो उसका अर्थ है—मैं मानता हूं कि तथ्यों के बारे में हम लोगों का आपस में एख्तलाफ हो सकता है.....

श्री अध्यक्ष--

आप एक चीज सुन लें। नियम ३१२ है निर्वचन एवं कठिनताओं का निराकरण—यदि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई सन्देह उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा। तो इंटरप्रिटेशन करने का अन्तिम अधिकार अध्यक्ष का होता है और उनको रिफर किया जाता है इस विषय में। अब यह हो सकता है कि अगर मेरी गलती है या कोई बात है इंटरप्रिटेशन के सम्बन्ध में तो उसके लिये आप सदन के बाहर मेरे कमरे में आकर बहस करें और मुझे सैटिस्फाई कर दें। दूसरे, एक रास्ता मैंने यह खोल दिया है कि एक कमेटी बैठेगी क्योंकि नेता विरोधी दल ने यह प्रश्न उठाया था इसलिये मैंने यह निश्चय किया। अब मैं इस कमेटी के सामने उसको रखूंगा। जो कमेटी बैठेगी उसमें मैं भी बैठूंगा, वह भी बैठेंगे और आप भी बैठेंगे। उस समय आप यह प्रश्न उठाएं और इस वक्त सदन का समय जितना कम से कम लें उतना ही अच्छा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं निवेदन करूंगा कि जो नियम आपने पढ़ा उसकी थोड़ी जानकारी हमको भी है। आपकी कुर्सी से अनेकों नजीरें ऐसी हुई हैं जिनमें यह साफ-साफ व्यवस्था है कि आप अपनी पिछली नजीरों को बदल भी सकते हैं। उनमें संशोधन और परिवर्तन कर सकते हैं। आपका अधिकार है। इसीलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो नियम १९८ का इन्टर-

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

प्रिटेशन किया गया वह बहुत ही गलत है, संविधान की व संसदीय मान्यता के प्रतिकल है, नियमों के प्रतिकूल है.....

श्री अध्यक्ष—

यहां नहीं कह सकते हैं। मेरे कमरे में कह सकते हैं और मुझे कनविंस कर सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आगे क्या होता है, श्रीमन् ? जैसे बौरहा कुत्ता बरताव करता है, वह नहीं देखता कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है, उसी तरह हर आदमी पर, चाहे वह शान्त रहा हो या अशान्त रहा हो, सब पर समान रूप से दांत मारा गया, समान रूप से हाथ डाला गया तो सचमुच हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है और हमे बहुत पीड़ा है। फिर जब हम लोग बलात् यहां से निकाल दिये जाते हैं तो प्रस्ताव होता है कि हम लोगों ने सदन का अवमान किया और उसकी हमें सजा मिलती है। श्रीमन्, उसके लिये भी प्रोसीजर है नियम ६३ से ७४–७५ तक.....

श्री अध्यक्ष—

उस पर फैसला हो चुका।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो उन नियमों को अगर ढंग से पढ़ा जाय, उसमें लिखा है कि अगर इस सदन के किसी सदस्य के खिलाफ अवमान की कार्यवाही होगी तो कौन-सा प्रोसीजर होगा और सदन के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ होगी तो क्या प्रोसीजर होगा। श्रीमन्, नियम ६५ व ६८ को साथ-साथ पढ़ा जाय। साफ यह नतीजा निकलता है कि हमारी हकतलफ़ी की गयी है। क्योंकि यह इल्लीगल है इसीलिये गुप्ता जी के एहसान की हमें जरूरत नहीं है। आप स्वयं यह व्यवस्था दे सकते हैं कि चूंकि यह प्रस्ताव और हमारी सजा इल्लीगल है इसलिये हमको निलम्बित नहीं किया जा सकता था.....

श्री अध्यक्ष—

सदन के प्रस्ताव को मैं कभी ऐसा नहीं कह सकता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन कोई इल्लीगल प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता....

श्री अध्यक्ष—

मेरी अनुमति लेकर वह लाया गया था, इल्लीगल कुछ नहीं था।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने हम लोगों को मौका नहीं दिया अपनी बात कहने का जो हमारा अधिकार था। हमने रेडियो पर सुना कि आपने यह माना कि जूरिसप्रुडेन्स के हिसाब से यह गलत हुआ और इस प्रकार इल्लीगल माना...

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि जूरिसप्रुडेन्स के हिसाब से यह होना चाहिये था, ऐसी बात नहीं है कि इल्लीगल माना।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जोरदार तरीके से न सही, किसी हद तक आपने उसे माना कि यह गलती हुई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके लिये हमें सदन के नेता के अहसान की जरूरत नहीं थी, उसको तो आप अपनी व्यवस्था देकर रद्द कर सकते थे। हम लोग २६ से लेकर २९ तक सदन की

सेवा से वंचित रहे जो अनुचित और अवैध है। इसलिये उसका निराकरण होना चाहिये। चूंकि हमारे खिलाफ एक झूठा प्रस्ताव लाया गया, इसलिये इस नियमावली के नियम ७४ के अनुसार ५०० रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से हमको उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने झूठा प्रस्ताव पेश किया और यह पास कराया, कम्पेन्सेशन दिलाया जाय। श्रीमन्, मैं सदन को बतलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ने हमसे बदला लिया है। मैं यहां पर कह चुका हूं कि इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री की हैसियत क्या है? उन्होंने उस चीज को ध्यान में रख कर और २५ तारीख को जो हमने उनकी अनुपस्थिति में सरकार को गिराने की कोशिश की, उससे गुस्सा होकर, बदले की भावना से प्रेरित होकर यह किया। इसी सदन में हमने देखा कि आपके चारों तरफ आदमी लगे हुये थे और जो पुलिस अधिकारी थे वे माननीय मुख्य मंत्री से आदेश ले रहे थे। हिंसा के आदेश स्पष्ट रूप से वे माननीय मुख्य मंत्री से ले रहे थे। मान्यवर, इस सदन की पवित्रता को अगर किसी ने नष्ट किया है तो वह मुख्य मंत्री हैं, विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया है। (शेम शेम की आवाजें) (व्यवधान) ये हमको भाषण जनतंत्र का देते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि वे पाखंड के निचोड़ हैं और इनके काम अप्रजातांत्रिक हैं। यह बात अहिंसा की करते हैं, मगर हम लोग, जो अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं, उन पर हिंसा करने में जरा भी नहीं चूकते और इस तरह से वे पूरे प्रदेश में हिंसा के वातावरण को बढ़ावा दे रहे हैं। सन् १९४७ के पहले जिन पाजी पुलिस आफिसरों ने पंतजी को मारा, जिन्होंने जवाहर लाल जी पर डंडा चलाया, उनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं की गयी। वे तो कहते हैं कि हम तो हाकिमे वक्त के फरमाबरदार हैं। इनको बदला नहीं गया उल्टे इनको तरक्की मिली। वह परम्परा उन्होंने डाली जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी। चाहे कांग्रेस के नेता रहे हों, चाहे कोई और रहा हो, उन सभी को मारने में उनको कभी पछतावा नहीं होता। वे समझते हैं कि उनकी तो इसी से तरक्की होती है। मान्यवर, पी० ए० सी० के लोग यहां आकर अगर घसोट-घसीट कर हमारा अपमान करते हैं, मारते हैं, तो फिर बाहर कैसे कायदा-कानून चलेगा। किस तरह से यहां कायदा कानून टूट रहा है उसकी तरफ मुख्य मन्त्री का ध्यान नहीं जाता है। उन अफसरों को ये देखने पहुंच जाते हैं। अखबारों में खबरें छपती हैं जिससे सबको चोट लगती है। हमसे तो बात करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। इन्होंने स्वयं हिंसा का वातावरण उत्पन्न किया है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं बल्कि बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि जब एक दफे हिंसा का हाथ बढ़ना शरू हो जाता है तो वह खूनी पंजा हमारी गर्दन पर ही पहुंच कर नहीं रुकेगा बल्कि वक्त आने पर वह मुख्य मन्त्री की गर्दन पर भी पहुंच सकता है और [***] किस तरह से विरोधी पक्ष के लोग रोज-रोज मारे जाते हैं। लखनऊ में मान्यवर.....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर चंद (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा है कि वह खूनी पंजा [***] इसको वापिस कराइये।

श्री अध्यक्ष---

आप का मतलब यह है कि गुप्ता जी की गर्दन साफ हो जाय तो कोई हर्ज नहीं, आपकी गर्दन साफ नहीं होनी चाहिये।

श्री राजबहादुर चंद---

[***] यह अप्रजातान्त्रिक है, इसको वापिस कराया जाय।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने पहले यह बात कही कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूं। जो चीज हमारे ऊपर गुजरी है, उसका परिणाम यह हो सकता है, वह मुख्य मन्त्री के ऊपर भी गुजर सकती है, और प्रधान मंत्री के ऊपर भी गुजर सकती है। यह उनके कहने का मतलब है।

(अत्यधिक शोर)

श्री गोविन्दसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री के खिलाफ इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे शब्द वापिस कराये जांय.....

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, और मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिससे परिस्थिति सुधर सकती है .....

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी माननीय समाजवादी दल के नेता, श्री जायसवाल ने माननीय प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में कुछ इस तरह की बात कहीं कि जो सर्वथा असंसदीय, अशोभनीय है (शेम-शेम) और सुनने में भी बहुत ही बुरा लगता है.....

(व्यवधान)

मैं हिन्दी भाषा की बोलने वाली हूं और मेरी मातृ भाषा भी हिन्दी है और मैं समझती हूं कि "छाती पर हाथ रखने" के क्या अर्थ होते हैं। मैं सदन की पुरानी सदस्या हूं और एक शादी-शुदा स्त्री हूं और ऐसे शब्दों के अर्थ को समझती हूं कि क्या होते हैं। इसलिये मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य ऐसे शब्दों को वापस लें। हम स्त्रियां जो इस सदन में बैठी हैं उनका खयाल कर के माननीय सदस्यों को यहां बात करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इधर बहिनें और औरतें भी यहां बैठी हैं। उनको अपने इन शब्दों को अवश्य वापस लेना चाहिये और उन्हें क्षमा मांगना चाहिये क्योंकि यह आक्षेप है और स्त्री जाति पर, इस तरह से हमला किया गया है (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष---

स्त्री जाति के ऊपर यदि इसमें कोई हमला होता है तो बात यह है कि मैं भी हिन्दी जरूर जानता हूं हालांकि मेरी मातृ भाषा मराठी है, मैं भी अच्छी हिन्दी जानता हूं, मैं तो यह समझा कि "गर्दन पर हाथ पड़ेगा" जिस तरह से कि पुलिस हमारे ऊपर यहां आ कर हाथ डालती है उसी तरह से किसी दिन वह मुख्य मन्त्री और उनकी गर्दन पर भी हाथ डालेगी। जहां तक "छाती" का सवाल है अगर वह कहा जाता है तो वह औरतों के लिए हिन्दी में जरा बुरा मालूम होता है। उसको वह वापस ले लें तो क्या बुरा है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप भी और सदन के कुछ माननीय सदस्य भी बेर-बेर पुलिस की चर्चा इस सदन में करते हैं। पुलिस तो आपके आदेश से इस सदन में उस दिन आई थी और उसने यहां आ कर जो आदेश आपने उसे दिये उनका पालन किया और उसने यहां से सदस्यों को हटाया। यहां पर बेर-बेर पुलिस की बात करना और उस

की बात को ले कर कुछ अनुचित बातें मुख्य मन्त्री या माननीय प्रधान मंत्री को कही जांय क्या यह बातें सदन की शोभा को बढ़ाती है? मैंने आरम्भ में ही नम्र निवेदन किया था कि यह विषय खत्म किया जाय और कल यह खत्म भी हो गया था लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि फिर वही बात शुरू कर दी गई और आप ने शुरू करने के लिये इजाजत दी। मैं इसका भारी विरोध करता हूं कि इस तरह से सदन का कार्य नहीं चल सकता, यह असंसदीय भाषा है और इस तरह के व्यवहार और भाषा को इजाजत नहीं होनी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री को इस बात को कहने का पूरा अधिकार है....

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का आदेश दिया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से....

(अत्याधिक शोर)

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैंने केवल इतना कहा कि अगर हिंसा को बढ़ावा दिया जायगा तो हिंसा का खूनी पंजा, जैसा हमारे ऊपर रखा गया है, मुख्य मन्त्री की गर्दन और [× × ×] (अत्यन्तशोर)

श्री अध्यक्ष--

आप "छाती" शब्द को वापस ले लें।

(व्यवधान)

श्री चरणसिंह--

अध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल की तकरीर का यह हिस्सा और भी कुछ हिस्से में पूरी तरह से सुन नहीं पाया था। जब उधर से एतराज हुआ, उस वक्त भी मैं नहीं समझा कि क्या बात कही गयी। बाद में जब हूटिंग हुआ और बहुत शोर मचा तो मुझे मालूम हुआ कि उसमें "छाती" लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय जायसवाल जी ने जो कहा वह यह था कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर....

(शोर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय जायसवाल जी ने यह कहा कि [× × ×]

श्री चरणसिंह--

माननीय जायसवाल जी ने यह कहा कि चीफ मिनिस्टर और [× × ×] मैं यह मान कर चलता हूं जो उन्होंने अब कहा, मैं यह फर्ज कर के चलता हूं कि उन्होंने यह ही कहा होगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हरगिज माननीय जायसवाल साहब का यह मतलब नहीं हो सकता है कि माननीया प्रधान मन्त्री या किसी भी मंत्री या किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई बात कही जाय, जो शोभनीय न हो। उनकी मंशा यह नहीं हो सकती और मैं समझता हूं कि माननीय जायसवाल जी ने अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं तो उन्हें वापस लेने में, जिनसे गलतफहमी हो, कोई एतराज नहीं होगा।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पहले ही बतला दिया कि उसका क्या परिणाम होता है ? जब यह मालूम हुआ कि स्त्री समाज को बड़ा भारी अपमान मालूम होता है तो फिर आपको वापस लेने में क्या एतराज है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान लीजिये हमसे अकारण खता हो जाय।

(शोरगुल)

आपने हमको बाहर हल्ला मचाने सदन से निकाल दिया था और अब जब ट्रेजरी बेंचेज वाले सदस्य हल्ला मचा रहे हैं तो इनको भी बाहर निकाल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

अब तो यह तय हो चुका है कि कमेटी बिठा दी जायगी और वह तय करेगी कि पुलिस को आगे कैसे बुलाने की आवश्यकता न पड़ेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

सदन का वातावरण बहुत गर्म हो गया है। बहनें बहुत दुःखी हैं। मेरिट्स पर मैं जाना नहीं चाहता क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। अगर गलतफहमी फैल रही है तो मेरी प्रार्थना है जायसवाल जी से कि वह इसे वापस ले लें तो अच्छा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इससे पहले भी सन् १९६७ में इस सदन में ऐसे वाक्य का इस्तेमाल किया जा चुका है और वह असंसदीय घोषित नहीं किया गया। प्रधान मन्त्री के सामने ही लोक सभा में भी ऐसे वाक्य का इस्तेमाल हुआ था जो असंसदीय घोषित नहीं हुआ। मैं अपनी बहनों से यह भी जानना चाहूंगा कि मेरे वाक्य का वे क्या मतलब समझती हैं जिससे मैं इसे वापस ले लूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब तक जायसवाल जी अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तब तक हम सब बहिनें अपनी जगह पर बैठने वाली नहीं हैं।

(कांग्रेस दल की कई महिला सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़ी हो गयीं)

(व्यवधान)

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)--

मैं तो पास बैठी थी। मैंने जायसवाल जी के वाक्य को सुना था और उन्होंने यही शब्द कहे थे .....

(शोर)

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)--

यह बात सही है, मैंने जिस तरह से सुना जायसवाल जी ने जरूर कहा। उन्होंने कहा खूनी पंजा मुख्य मंत्री और [X X X]। अगर पहले गर्दन कहा होता और तब दूसरे शब्द कहे होते तो अप्रिय होते हुए भी उनका अर्थ दूसरा भी हो सकता था। जो बात उनके मुख से निकली उसका बुरा असर पड़ा हालांकि उसका अर्थ यह हो सकता है कि प्रधान मंत्री की इज्जत और गर्दन भी खतरे में पड़ेगी। जायसवाल जी से मैं कहूंगा कि ऐसे वातावरण में ऐसे वाक्य का इस्तेमाल किया जाना चाहिये जो अप्रिय न हो तथा जिससे कहीं भ्रम न हो। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जायसवाल जी इसे वापस ले लें।

[X X X] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मान्यवर, मैं अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन करने का आदी नहीं हूं लेकिन मैं उनकी जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में और लोक सभा में भी इससे पहले यह वाक्य इस्तेमाल हो चुका है और वह असंसदीय घोषित नहीं हुआ। फ़िर म इतना अनशिवैलरस भी नहीं हूं कि इतनी महिलाएं एक साथ दरख्वास्त करें और मैं उनकी बात न मानूं। मैं उपाध्यक्ष, नेता विरोधी दल तथा अध्यक्ष महोदय का जो हुक्म है उसे शिरोधार्य करके यह वाक्य वापस लेता हूं। लेकिन मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आखिर उन्होंने मेरे वाक्य का क्या अर्थ समझ लिया ?

(व्यवधान)

श्रीमती विद्यावती राठौर---

मैं आपके पास बैठी हूं और मैंने सुना कि आपने क्या कहा.....

(घोर व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप आंख क्यों दिखा रही हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं इन शब्दों को वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा।

(सदन में घोर व्यवधान और अशान्ति)

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)---

मैं माननीय जायसवाल जी के खिलाफ़ निन्दा का प्रस्ताव लाना चाहता हूं। मान्यवर, आपके, माननीय नेता विरोधी दल के और उपाध्यक्ष के कहने पर पहले उन्होंने वे शब्द वापस लिये और फ़िर कहा कि वापस नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। अतः उनके विरुद्ध मैं निन्दा का प्रस्ताव सदन की पवित्रता और गरिमा की रक्षा के लिये लाना चाहता हूं। आप आज्ञा प्रदान करें।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फ़ैजाबाद)---

मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आप उसे लाने की अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति 'अंचल'---

कौन व्यक्ति आज इस नारी समाज का अनादर करना चाहता है, कौन व्यक्ति यहां पर द्रौपदी की चीर खींचना चाहता है यह बात आज यहां साफ हो जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं। लोग शान्त हो जायं तब फ़िर बैठेंगे।

(इस समय १२ बजकर ५० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर २० मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं माननीय जायसवाल जी से चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने कहे थे "छाती" के बारे में, उनको कृपा कर वे वापस ले लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप की आज्ञा से, उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और भी जो महिलायें हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए मैंने उस शब्द को वापस लिया था। लेकिन उसके बावजूद हमको आंखें दिखायी जायं, इस तरह से बीच में टोका जायगा, अगर यह हालत रहेगी तो मैं उस को वापस नहीं लूंगा। एक दफा नहीं १० दफा इस बात को कह सकता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सदन की बहनों और सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि सदन में एक ऐसी घटना घटित हो गयी, जिससे बड़ी भारी भ्रान्ति फैल गयी। सबसे प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी परिस्थिति पैदा न करें जिससे सदन में कोई उत्तेजनात्मक परिस्थिति पैदा हो। जो परिस्थिति पैदा हो गयी है, उसको निबट जाने दें। मैं जायसवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उसको वापस ले लें।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया इन्दिरा गांधी रायबरेली से लोक सभा की प्रतिनिधि हैं। हम लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस लगी है। माननीय जायसवाल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं उनसे आशा नहीं करता था कि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और कम से कम उस स्त्री के बारे में जिसकी ओर सारे विश्व की आंखें लगी हुई हैं। रायबरेली की १४ लाख की आबादी है। वहां की हर माता, बहन, बच्चा इन्दिरा गांधी जी के लिये कुरबानी करने के लिये तैयार है इसलिये उनको कोई असम्मानित करने का प्रयत्न न करे और न कोई ऐसी बात ही कही जाय जो सदन की गरिमा के अनुकूल न हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय जायसवाल जी अपने शब्दों को वापस लें और क्षमा मांगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, आप ने मेरे पक्ष में जो रूलिंग दी उसका मैं आभारी हूं। लेकिन चूंकि हमारी महिलाओं को मेरे शब्दों से कुछ गलत फहमी हो गयी है, इसलिये आपकी बात को ध्यान में रख कर और अन्य माननीय सदस्यों की बात को ध्यान में रख कर मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

(श्री गोविन्द सिंह के खड़े होने पर) इस समय गरम वातावरण है मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह--

मैं बहुत शान्ति के साथ केवल ५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर ूंगा। मान्यवर, २६ तारीख को.....

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

मैं समझता हूं कि आप लोग मुझे डिक्टेट करना चाहते हैं। कभी-कभी आप लोग ऐसे अपशब्द भी बोलते समय कह देते हैं कि वे लोगों को पसन्द नहीं होते हैं। ऐसी हालत में मैं सबन को स्थगित कर दूं सिवाय इसके मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहता है।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, हम लोग गलती करते हैं तो पुलिस बुला लेते हैं और ये लोग गलती करते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। इस प्वाइंट आफ आर्डर को उठाने से पहले मैं एक बात कह दूं कि ये लोग शोर मचाते हैं तो आर्म्ड पुलिस को बुला लेते हैं और वे लोग शोर मचायें तो चौकीदारों को बुला लिया करें कम से कम।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने मुझे बंधन में न डाला होता तो मैं पुलिस को बुला लेता।

नेता विरोधी दल द्वारा मुख्य मंत्री से सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं और एक तरफ से मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है क्योंकि यह हाउस के बिजनेस से संबंधित है। माननीय गुप्ता जी या गवर्नमेंट का क्या इरादा है? आज जब हाउस उठ जायेगा तो ८ तारीख को फिर बैठने का इरादा है या नहीं? अगर आप को सूचना है तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हमारे पास ८ तारीख को बैठने की सूचना है। लेकिन सवाल यह है कि इसको तो गवर्नमेंट बतायेगी।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो आज का कार्यक्रम है, यह खत्म हो जाये तो आज सायंकाल इस विषय में सूचना दे दूंगा।

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं सुबह से ही इस बात को जानना चाहता था और यह परिपाटी है। यह नहीं है कि हम कल क्या करने जा रहे हैं, इसको शाम को बतायेंगे। क्योंकि फिर हमें कहने का क्या मौका मिलेगा। इसलिये आप अभी बतायें और यही तरीका भी है। मैंने यही सुना है कि ३० तारीख को हाउस के उठने का विचार है लेकिन प्रोग्राम २१ सितम्बर तक का है। इसमें क्या कोई अन्तर है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि वह कहते हैं कि शाम को बतायेंगे। अब दोपहर हो गई है। अगर आपने सुबह पूछा होता तो मैं इंसिस्ट करता। उनका मतलब यह है कि शाम तक क्या वातावरण रहता है, उसके हिसाब से वे तय करेंगे।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, वातावरण तो इसी बात पर है कि फसला क्या करते हैं हमें यह शिकायत है। मैंने दो दिन पहले ही सवाल उठा दिया था।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने शाम के लिये कहा है इसमें मैं क्या कह सकता हूं।

श्री चरणसिंह—

क्यों नहीं कह सकते?

श्री अध्यक्ष---

इसके बारे में आपको सुबह पूछना चाहिये था ।

श्री चरणसिंह---

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर हाउस के विजनेस के सिलसिले में है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उनसे कहा कि जवाब दीजिये। लेकिन वह नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं ?

श्री चरणसिंह---

आप उनसे ज्यादा मुहब्बत करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं आप से ज्यादा मुहब्बत करता हूं।

मैं जबरन कहलाना नहीं चाहता हूं। मुझसे कोई कहता है कि यह रूलिंग दो नहीं तो उठ कर चला जाऊंगा। अगर वह यह कहता है तो मैं उससे यह कहता हूं कि उठकर चले जाओ। मैं कहता हूं कि आप इसका जवाब दे दीजिये। नहीं देते हैं तो मैं उन पर जब्र नहीं करना चाहता हूं और मुझ पर भी कोई जब्र न करे। शाम को उत्तर देने को कहा कौन सा बुरा किया, कौन सी बुरी बात हो जायगी ?

श्री चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय, नियम १४ में आप को अधिकार है। "सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देख कर तथा सदन-नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करें।" तो जो कार्य की स्थिति है उसमें हम को भी अधिकार है कि हम आप को राय दें। यह आप का अधिकार है समय निर्धारित करने का। इस लिए आग्रह कर रहा हूं। आप इस तस्वीर में आते हैं।

श्री अध्यक्ष---

आते तो जरूर हैं। अध्यक्ष सदन-नेता के परामर्श से समय-समय पर निश्चित करेंगे। सदन नेता से परामर्श करके, सदन-नेता से जब्र करके नहीं है।

श्री चरणसिंह---

अगर सदन-नेता परामर्श न दें तो आप को अधिकार नहीं है ? तब भी आपको ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

मैं यही करूंगा, अगर परामर्श नहीं होती है, तो उनके आर्डिनेंस के बिल हैं, मैं अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूंगा, उनके बिल कहीं जायं।

बिल पास होने का सवाल है। यह आर्डिनेंस के बिल पास होने चाहिए। यह निश्चय बिलकुल हो चुका है, जो कार्यक्रम रखा गया है, यह परामर्श से हुआ है। फिर आप पूछते हैं कि किस तारीख के बाद और क्या होगा, बीच में कोई अन्तर आया है या नहीं।

श्री चरणसिंह---

मैं जानना चाहता हूं कि आज उठने के बाद आठ तारीख को मीट करेंगे या नहीं। इसका जवाब उनको देना चाहिए। जैसा विजिनेस का प्रोग्राम निकल चुका है, वैसा चाहते हैं तो सहूलियत हो जाती है, अगर नहीं चाहते हैं तो सहूलियत हो जाती है। फिर हमारा जरूर सदन को छोड़ कर जाने का इरादा है। दो मिनट में खत्म कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन बता दें। आप इसके बाद आठ तारीख को बैठेंगे?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष जी, आप निवेदन सुन लें इस से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसी से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, यह भी नियम है कि नेता सदन विरोधी दल के नेता से परामर्श कर के कार्यक्रम निश्चित करेंगे। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने बताया उनसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। उनकी बगैर राय लिए कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह नियम है। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं।

श्री अध्यक्ष---

सुनाइये। पहले सुनाइये।

(श्री जायसवाल नियम ढूंढने लगे)

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी कैबिनट की मीटिंग होगी, इसी बीच में जबकि आपका सदन चलता रहेगा, उस वक्त सारा बिजिनेस क्या हो, किसको किस तरह से रखना है, उस पर विचार करेंगे। उसके बाद फैसला लेंगे तब आप को बतायेंगे।

श्री चरणसिंह---

मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आज उठने के बाद ८ तारीख को मीट कर रहे हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बता दिया है। उन्होंने कह दिया कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग होगी, इन-फार्मल, बोर्ड में, सदन के चलते हुए और उसके बाद शाम को बतायेंगे कि क्या होगा।

*श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मुझेको इस पर इतराज है। मैं इसीलिए दो मिनट आपके लेना चाहता हूं। जो पहले का कार्यक्रम आ चुका है उसके अनुसार २१ सितम्बर तक प्रोग्राम था, बैठने का इरादा था। अब वह गवर्नमेंट का बिजनेस न करें हमको इसमें अधिक आपत्ति नहीं है। पर अपोजीशन का भी यहां पर कुछ हक है अपनी बात रखने का हक है और उसमें भी मशविरा देने का हक है। गवर्नमेन्ट एक पक्ष की नहीं है, सब लोगों की है और दोनों तरफ की सरकार है। मैं एक मिनट के लिए यह भी माने लेता हूं कि गवर्नमेन्ट आप की है, लेकिन यहां पर सवाल दूसरा है। कई हमारे आप के पास ब्रोच आफ प्रीविलेज के प्रस्ताव पड़े हुए हैं, जिन पर आप को फैसला देना है। हमारे बोरा जो वाले प्रस्ताव पर आप ने कहा था कि हम सदन को मौका देंगे अपनी बात कहने के लिए। तो एक तो यह कि श्री बोरा द्वारा उठाये गए विशेषाधिकार के ३ प्रश्नों पर आपने सदन में चर्चा का आश्वासन दिया था। फिर यह है कि श्री किदवई साहब ने एक शायद परसों दिया था, पुलिस का सरकार ने जो कान्डक्ट कराया उसके बारे में कि मुख्य मन्त्री ने जो उनको यहां आदेश दिये हैं, वह भी पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की तरफ से सदन की मीटिंग कब-कब हों, किस प्रकार से विचार करें? इसके बारे में एक दरख्वास्त या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

मोशन आया हुआ है। इसके अलावा सब यह समझते हैं कि आप के विषय में और उपाध्यक्ष महोदय के सिलसिले में कुछ प्रस्ताव आए हुए हैं, जिनको आप १४ दिन बाद ले सकेंगे। इन सबसे ज्यादा इम्पार्टेंट बात यह है कि इधर के लोगों को अपनी तरफ से भी सुझाव देने का अधिकार है संकल्प के जरिए और विधेयक पेश करने के जरिए। इधर के सदस्यों का यह अधिकार पुराना है। हर हफ्ते इसके लिये एक दिन मुकर्रर किया जाता था। लेकिन इधर ये प्रथा कुछ-कुछ टूट गई है और यह परिपाटी हो गई है कि बजट के दिनों में यह असरकारी दिन खत्म कर दिये जायें और उसके बाद अलग से उनके लिए समय दे दिया जाए। तो २१ जुलाई से उन को अब तक अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। अब अगर ८ तारीख को हाउस नहीं मिलता तो इसका अर्थ यह है कि हम सब अपने उस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसलिये मैं गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि वह जो इस फार्मल केबिनेट की मीटिंग करके प्रोग्राम तय करने की बात कहते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह गवर्नमेन्ट का बिजनेस मुल्तवी करते हैं तो करें, लेकिन यह जो अन्य बहुत जरूरी काम हैं यह नहीं रूकने चाहिए और इन को समय पर किया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप आज के बाद फिर इनके लिये नहीं बैठते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि यह पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ है और अपोजीशन के महत्वपूर्ण अधिकार के खिलाफ है और यदि आप ८ तारीख को हाउस बुलाने का इरादा नहीं रखते हैं, तो आगे जिस दिन आपकी कार्यवाही चलेगी, उस दिन हम हिस्सा उसमें नहीं लेंगे। अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा इरादा है कि वह (मुख्य मत्री) डिफनेट्ली बता दें कि वह ८ तारीख को बैठेंगे या नहीं, अन्यथा हम सब लोग सदन छोड़ने के लिए विवश होंगे।

श्री अध्यक्ष —

मैं तब नहीं कर सकता, मैंने तो कह दिया। यदि आप और कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय, मैं तो अपने विचार सदन के जरिये दो बार व्यक्त कर चुका हूं। प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिसके कारण ८ तारीख को सदन हो या न हो, इस पर हमें विचार करना पड़ रहा है। लोग अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाना चाहते हैं। बाढ़ कितने जिलों में, कितने स्थानों पर आई हुई है, गांव के गांव बहा ले गई है। हमारे सदस्य और प्रतिनिधि उन क्षेत्रों में जाकर जनता की सेवा नहीं कर पाये। यह प्रश्न भी हमारे विचाराधीन है और क्या क्या कार्यक्रम हो, उस पर भी हमें विचार करना है। विचार करके हम फैसला कर लेंगे और उसकी सूचना मैं आप को शाम को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इस पर भी आप विचार कर लें हम लटके हुए हैं। आप इस बात पर भी विचार कर लें कि मेरे और उपाध्यक्ष के खिलाफ भी एक प्रस्ताव आया हुआ है। उस विषय में म बहुत दिनों तक लटके हुए नहीं रह सकते। हम एक नाव में बैठे हुए हैं। हमने जो एक पद्धति यहां पर चलाने की कोशिश की अपनी भिन्न-भिन्न पार्टियों को छोड़ कर उसके विषय में हम दोनों को यह आभास हो रहा है कि हम न इधर के रहे और न उधर के रहे। हम लोगों के ऊपर न इधर के लोगों का विश्वास रहा और न उधर के लोगों का विश्वास रहा। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा। आज कई दिन से मुझे इस कारण नींद नहीं आ रही है। इसलिये आप इस बात पर भी विचार करलें कि हम इस विषय में बहुत दिनों तक लटके हुये नहीं रह सकते।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, यह है कि "न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे"। यह एक शेर है।

श्री अध्यक्ष—

यह उर्दू का शेर है।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन, मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सदन की बाकी कार्यवाही है उसमें हम आज शामिल नहीं हो सकेंगे।

(विरोधी दल के सब सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अनन्तराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

(स्वशासन मन्त्री का नाम पुकारने पर)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन, आपने यहां पर यह निर्णय लिया था कि जिन लोगों का निलम्बन वापस लिया गया है उनको ५-५ मिनट का समय दिया जायगा। मुझे ५ मिनट का समय दिया जाय ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं स्वशासन मन्त्री को बुला चुका हूं।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, जो आप ने अपना ५ मिनट समय देने का निर्णय लिया था क्या उसको वापस ले लिया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कहिये, आप को क्या कहना है। आपके शब्द सुनाई नहीं देते। आप आगे आकर ५ मिनट बोल लें, लेकिन ५ मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ५ मिनट का समय दिया। श्रीमन्, २५ तारीख को जो घटना हुई है, जिस तरह से विभाजन की मांग को नहीं माना गया.....

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप ने शुरू किया। आप पर जो गुजरी वह बताइये।

श्री जगदीश गांधी—

मैंने २६ तारीख को सदन में.....

एक सदस्य—

इन्होंने हाई कोर्ट में रिट दे रखी है, इनको अब बोलने का क्या हक है?

श्री जगदीश गांधी—

२६ तारीख को इस रास्ते से श्री रमेन्द्र वर्मा जो कांग्रेस के आफ़िस सेक्रेटरी हैं, सदन के माननीय सदस्य नहीं हैं वे आये। आप यहां कुर्सी पर बैठे थे और उनके (श्री वर्मा के) इशारे पर पुलिस के अधिकारी ने मुझे सदन के बाहर निकाला।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

भाषण स्वातंत्र्य को मिटाना नहीं चाहिए। आप बोलिये ५ मिनट।

श्री जगदीश गांधी—

मान्यवर, जितनी देर मुझे, डिस्टर्ब करें उतना समय मेरे समय में जोड़ दिया जाय। तो ह श्री वर्मा आये, उन्होंने पुलिस के एस० एस० पी० को कहा कि "जगदीश गांधी को भी बाहर निकालिये" और यह भी कहा कि "यह गुप्ता जी का हुक्म है"। श्रीमन्, रमेन्द्र वर्मा जो सदस्य नहीं हैं—और जब आप स्वयं कुर्सी पर बैठे हैं—तो उन्हें सदन में आने का अधिकार नहीं था, उन्हें पुलिस अधिकारी को हुक्म देने का अधिकार नहीं था। आपने मुझे इंगित नहीं किया था। आपके बिना इंगित किये ही मुझे निकाला गया और जब मैं बोल रहा था उस वक्त मेरा नाम माननीय आचार्य जी ने उस लिस्ट में रखा और कहा कि "शरारत ये भ करते थे, इनको भी निकाल दो"। मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि आप के प्रति मुझे बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन जिस तरह विभाजन की मांग को आपने पूरा न होने देकर जो, आपने सदन के अन्दर संविधान की हत्या की है, उस की वजह से मेरी आस्था आप में, मान्यवर अध्यक्ष महोदय में नहीं रही है। मैंने कहा था कि इस सदन के अन्दर संविधान की हत्या हुई है, जनतंत्र की हत्या हुई है जो जनतांत्रिक परम्पराएं हैं उनकी भी ह या हुई है और माननीय अध्यक्ष ने स्वयं कांग्रेस के पक्ष की नाजायज मदद की है।

श्री अध्यक्ष—

उस पर आगे मत जाइये, उस प्रश्न को न उठाइये। जो आप पर बीती उसी पर बोल सकते हैं....

श्री जगदीश गांधी—

मुझे इस लिये निकाला गया कि मुझे माननीय अध्यक्ष में आस्था नहीं रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा यह निवेदन है कि सदन में जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस की इजाजत न मिले, क्या उस समय भी कोई सदस्य उठ कर यह सकते हैं कि अध्यक्ष में आस्था नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

नहीं कह सकते, लेकिन उनको कोई कानून पालन नहीं करना है।

श्री अलबरराम जायसवाल द्वारा २६ अगस्त, १९६९ को उनके पुलिस द्वारा सदन से निष्कासन तथा सदन की सेवा से निलम्बन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब स्वयं माननीय सदस्य को ज्ञात है कि यह कोई कानून का पालन नहीं करना चाहते और न करते हैं, तो श्रीमन, आप इनको इस सदन में इस प्रकार बोलने की आज्ञा न दें, यह विनम्र अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने पहले कह दिया मैं कि वचन का पक्का हूं चाहे उसको मेरी गलती कह लीजिए। अपनी बुराई स्वयं सुनता मैं हूं और तकलीफ़ आप को होती है।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय, मैं कहना चाहता था कि माननीय नेता सदन, श्री गुप्ता जी महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों और भावनाओं का जो पालन नहीं करते हैं वे सदन के नेता हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं उन्हें हर तरह से दबायें। माननीय गुप्ता जी ने पुलिस को जो आदेश दिये थे वह गैरकानूनी हैं और मेरा सदन से निकालना गैर कानूनी है।

(व्यवधान)

मेरे पीछे जितनी कार्यवाही हुई तथा मेरे खिलाफ़ जो कार्यवाही हुई अगर मैं होता तो वह न होती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके समाप्त कीजिए। पांच मिनट हो गया।

श्री जगदीश गांधी—

यह जो सिन्डीकेट के लोग बैठे हैं वे गुप्ता जी [×××] हैं।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—

[×××] शब्द के प्रति आपत्ति है।

(व्यवधान)

श्री जगदीश गांधी—

माननीय सदस्य श्री राममूर्ति 'अंचल' ने कहा कि गुप्ता जी [×××] नहीं हैं और उनको आपत्ति है। तो क्या वह साबित करेंगे कि वह [×××] नहीं हैं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपको अध्यक्ष महोदय, स्मरण होगा मैंने परसों एक नोटिस दी थी और आपने कल के लिए वादा किया था और कल आपने कहा कि उससे ज्यादा जरूरी नोटिस आ गई है और आप अगले दिन रख लें। यह आश्वासन आपने कल दिया था तो आज शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य दिला दें।

[×××] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी का उत्तर आया है कि वक्तव्य वह ३० अगस्त तक नहीं दे पायेंगे क्योंकि इसमें उन को बहुत जानकारी हासिल करनी है।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला पिथौरागढ़)—

आज दिन भर की कार्यवाही में जितन भी अश्लील शब्द आये हैं उनको मान्यवर आप एक्सपंज कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जो विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न हों उन्हें तो कोई माननीय सदस्य मेरे पास लिख कर भेज सकते हैं। इंदिरा गांधी जी के बारे में जो शब्द कहे गये उनको तो उन्होंने वापस ले लिया है, फ़िर भी वह एक्सपंज हो जायगा।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन विधेयक, १९६९†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४, १९६६ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ में, धारा २ के प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और ग्यारह महीने" रख दिये जाएं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

निरसन राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १२, १९६८, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या २१, १९६८ उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १, १९६९

३—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६८, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६८, और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरसन किए जाते हैं।

---

* ६ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६६ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९†

नियोजन मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†६ अगस्त, १९६९ को कार्यवाही में छपा है।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, एक बात आपके सम्मख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि इस विधेयक में जितने संशोधन सम्मिलित होने चाहिये थे, माननीय मंत्री जी ने कुछ को छोड़ दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कोई संशोधन था ?

श्री रामसिंह--

संशोधन तो नहीं था, लेकिन कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

तब आप बैठिये ।

खंड २

यू०पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ५ के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ का संशोधन

२--यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात--

गांव सभा की सदस्यता

"५--प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावलि में तत्समय सम्मिलित हो, उस गांव सभा का सदस्य होगा ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

धारा ६ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाये, अर्थात--

"(१) गांव सभा का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जायेगा यदि उस सदस्य से संबंधित प्रविष्टि गांव सभा की निर्वाचक नामावलि से निकाल दी जाये ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४--५

धारा ६-ए के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

४--मूल अधिनियम की धारा ६-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात--

अनर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय

"६-ए--यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति धारा ५-ए या धारा ६ की उपधारा (१) में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय , किसी ऐसी अपील, जो नियत की जाये, के परिणाम के अधीन रहते हुय अन्तिम होगा ।"

धारा ९ के स्थान पर नयी धाराओं का रक्खा जाना

५—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"९—तत्समय प्रवृत्त किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि का उतना भाग, जिसका संबंध गांव सभा के अधिक्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र से है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गांव सभा की निर्वाचक नामावलि समझी जायेगी।

गांव सभा की निर्वाचक नामावलि

स्पष्टीकरण—इस धारा में पद "सभा-निर्वाचन-क्षेत्र" का वही तात्पर्य है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में इसके लिये दिया गया हो।

९-ए— सिवाय इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के, प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी गांव सभा की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत के किसी निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट या नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होगा।"

गांव सभाओं के सदस्यों का मत देने या पद धारण करने का अधिकार।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६, ७ व ८

धारा १२का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधारा (२) में शब्द "आठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "दस वर्ष" रख दिये जायें।

धारा१२–ए के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

७—मूल अधिनियम की धारा १२-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"१२-ए—किसी गांव सभा के प्रधान या उप प्रधान अथवा गांव पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिये निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मत-पत्र द्वारा होगा"

निर्वाचन की रीति

धारा १२–बी बी के स्थान पर नयी धारा का रक्खा जाना

८—मूल अधिनियम की धारा १२-बी-बी के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात्—

"१२-बी-बी—(१) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, गांव सभाओं की निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण और गांव पंचायतों के सदस्यों तथा गांव सभाओं के प्रधानों के सभी निर्वाचनों का संचालन, निर्वाचन निदेशक (पंचायत) में निहित होगा।"

निर्वाचनों का अधीक्षण

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)—

अध्यक्ष जी, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उसके खंड ६ में मेरा संशोधन है जो इस प्रकार है:—

"खंड ६ के मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधारा (२) में प्रस्तावित शब्द 'दस वर्ष' के स्थान पर 'नौ वर्ष' रखे जायं।"

माननीय, एक तरफ तो सरकार की तरफ से घोषणा की गयी है कि चुनाव जनवरी या फरवरी में कराये जायेंगे और दूसरी तरफ मूल अधिनियम में यह संशोधन आया है कि ८ वर्ष के

[श्री श्रीशचन्द्र]

स्थान पर १० वर्ष कर दिया जाय। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार प्रधानों के चुनाव नहीं करायेगी। पंचायत राज अगर है और अगर इसको कायम रखना है तो यह आवश्यक है कि चुनाव हो। ५ वर्ष में चुनाव होने चाहिये, फिर गांव प्रधानों के चुनाव ८ वर्ष से नहीं हुए हैं और नवां वर्ष चल रहा है, चुनाव होना इस प्रकार सम्भव नहीं मालूम होता। प्रजातंत्र में विश्वास रखने के लिये आवश्यक है कि समय के अन्दर चुनाव जरूर हो जाना चाहिये। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसे ९ वर्ष कर दिया जाय, जिससे चुनाव हो सके। आज जो प्रधान हैं, ऐसा मालूम होता है कि आज जिस जगह वे काम करते हैं, उस जगह मोनोपली बना रखी है, जमींदारी उन्मूलन के बाद नयी जमींदारी पैदा कर रखी है, व्यवस्था के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है, सलिये मैंने यह संशोधन रखा है ताकि चुनाव कराने के संबंध में सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि जनवरी-फरवरी में चुनाव कराए जायेंगे, सरकार अपनी इस बात पर दृढ़ रहे। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि "१० वर्ष" के स्थान पर "९ वर्ष" कर दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य, हरदोई ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मुझे खेद है कि उसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं उनकी इस भावना को समझता हूं कि ग्राम पंचायतों, क्षत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराये जायं। सरकार का यह निश्चित लक्ष्य है कि इस आगामी वर्ष के अन्दर यथासम्भव यह चुनाव करा दिये जायं। इस संबंध में जो निर्वाचक नामावली है उनका पुनरीक्षण हो रहा है और यह आशा है कि लगभग ४ लाख नाम उसमें जुड़ेंगे और लगभग १ लाख नाम निरस्त होंगे। एलेक्शन कमीशन ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण जरूरी है। अब नये कानून के आधार पर यह जो विधान सभा की निर्वाचक नामावली बनी है वही ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली होगी। निर्वाचक नामावली के शुद्ध होते ही चुनाव की तारीख निश्चित की जायगी। माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि "आठ वर्ष" के स्थान पर "नव वर्ष" कर दिया जाय, अगर उनके संशोधन को मान लिया जायगा तो इसका अर्थ यह होगा कि ५ जुलाई, १९६९ जो बीत चुकी है तभी ग्राम सभाओं का कार्यकाल समाप्त हुआ माना जायेगा। तो दो वर्ष जो रखा गया यह आगे के लिये नहीं है। राष्ट्रपति अधिनियम, १९६८ में एक वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। विधान के अनुसार राष्ट्रपति अधिनियम अगर कोई होता है, राष्ट्रपति शासन काल में उसको भी दोबारा यहां विधान मंडल में पास कराना पड़ता है। इसलिये ८ वर्ष के स्थान पर १० वर्ष रखना पड़ा है। संभवतः माननीय सदस्य ने यह समझा कि आज की तारीख से २ वर्ष बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यह तारीख १९६८ से बढ़ाई जा रही है। एक वर्ष बीत चुका है और केवल १ वर्ष बाकी है। ५ जुलाई, १९७० तक के लिए कार्य अवधि बढ़ाने की बात है तो माननीय सदस्य इस बात को देखते हुये कि दो वर्ष में सवा वर्ष बीत चुका है, अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीशचन्द्र--

मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड, ९, १०, ११ व १२

धारा ११४ का संशोधन

९---मूल अधिनियम की धारा ११४ की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (१) कर दी जाये, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् --

"(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये निदेश के कारण प्रधान तथा उप प्रधान दोनों के पदों की रिक्तियां बिना भरे रह जायें तो प्रधान के निर्वाचित होने तक, प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिये नियत प्राधिकारी, आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे ।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

१०---जब तक कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के (जिसे आगे संशोधित अधिनियम कहा गया है) उपबंधों के अधीन गांव पंचायत सम्यक् रूप से संघटित न हो जाये, अथवा गांव सभा का प्रधान या उप प्रधान सम्यक् रूप से निर्वाचित न हो जाये, तब तक २८ दिसम्बर, १९६८ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले यथास्थिति, गांव पंचायत के सदस्य और गांव सभा के प्रधान या उप प्रधान, संशोधित अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उसी रूप में पद धारण किये रहेंगे और कार्य करते रहेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान या तत्पश्चात् उद्भूत होने वाली किसी भी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति संशोधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी ।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

११---राज्य सरकार, मूल अधिनियम के उपबन्धों से, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों को संक्रमण के संबंध में उद्भूत होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिये, आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९६१ की धारा ७ का संशोधन

१२---उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ७ में---

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाये, अर्थात्---

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र न होगा जब तक कि उसने तीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो"

(ख) उपधारा (४) निकाल दी जाये ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ९, १०, ११ तथा १२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १३

धारा ८ का संशोधन

१३--मूल अधिनियम की धारा ८ में--

(क) उपधारा (१) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द 'तीन वर्ष' रख दिये जायें।

(ख) उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (३) के अधीन क्षेत्र समिति का सदस्य चुना गया हो या उसको उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खंड के अधीन पदेन सदस्य हो जाये, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमेलित किया गया था, आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी।"

श्री श्रीशचन्द्र--

श्रीमन्, मूल अधिनियम में पांच वर्ष का समय दिया गया .....

श्री अध्यक्ष--

पहले आप अपना संशोधन तो उपस्थित कर दीजिये।

श्री श्रीशचन्द्र--

श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १३ के मूल अधिनियम की धारा ८ में प्रस्तावित शब्द "तीन वर्ष' के स्थान पर 'दो वर्ष' रक्खे जायें। मेरा तात्पर्य यह है कि जिला परिषद् का कार्यकाल ३० जून, १९७० के आगे न बढ़ाया जाय। जब यह घोषित किया गया है कि जिला परिषद् के चुनाव जून, १९७० तक सम्पन्न हो जायेंगे तो कोई कारण नहीं मालूम होता कि इसमें दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किया जाय। श्रीमन्, पंचायतराज की सुव्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि चुनाव हो और उनको बढ़ाया न जाय, चुनाव के बढ़ने से प्रजातंत्र को बड़ा धक्का पहुंचता है। आवश्यकता इस बात की है कि चुनाव समय से कराया जाय। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने जिला परिषद् समझ कर संशोधन दिया है जब कि खंड १३ क्षेत्र समिति से सम्बन्धित है न कि जिला परिषद् से।

श्री श्रीशचन्द्र--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४--१९

धारा ९ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा ९ में--

(क) उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द 'प्रतिबन्ध यह भी है कि 'यदि' के पश्चात् शब्द 'क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के समय' बढ़ा दिये जायें;

(ख) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये, अर्थात्––

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि क्षेत्र समिति के कार्यकाल की समाप्ति के समय या उसके पूर्व प्रमुख और दोनों उप प्रमुखों के पदों में रिक्ति हो, अथवा पुनः संघटित क्षेत्र समिति द्वारा प्रमुख निर्वाचित किये जाने के पूर्व, प्रमुख या प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप प्रमुख के पद में रिक्ति हो जाय तो नये प्रमुख के निर्वाचित होने तक, प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिये जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे ।"

१५––मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (२) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाये, अर्थात्–– धारा १२ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को क्षेत्र समिति का शेष कार्यकाल छः माह से कम हो, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी ।"

१६––मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (५) निकाल दी जाए । धारा १९ का संशोधन

१७––मूल अधिनियम की धारा २० में–– धारा २० का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्––

"(५) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (२), खंड (४) या खंड (५) के अधीन जिला परिषद् का सदस्य चुना गया हो या उसकी उपधारा (२) के अधीन अनुमेलित हो, बाद में उक्त उपधारा (१) के किसी अन्य खंड के अधीन पदेन सदस्य हो जाय, तो तदुपरान्त ऐसे सदस्य के पद में, जिसमें वह मूल रूप से चुना या अनुमेलित किया गया था, आकस्मिक रिक्ति हो जायेगी ।"

१८––मूल अधिनियम की धारा २१ में , उपधारा (२) में, उसके द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाये, अर्थात्–– धारा २१ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि परिषद् के कार्यकाल की समाप्ति के समय या उसके पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पदों में रिक्ति हो अथवा पुनः संघटित परिषद् द्वारा अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के पूर्व अध्यक्ष या अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उपाध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाये तो नये अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकती है जो वह ठीक समझे ।"

धारा २५ का संशोधन

१९--मूल अधिनियम की धारा २५ में--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "आकस्मिक" निकाल दिया जाये; और

(ख) उपधारा (२) और (३) में से प्रत्यक में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति के होने के दिनांक को जिला परिषद् का शेष कार्यकाल छः महीने से कम हो, चाहे कार्यकाल बढ़ाया गया था या नहीं, तो रिक्त की पूर्ति नहीं की जायेगी।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १४ से लेकर १९ तक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

नयी धारा २७-क का बढ़ाया जाना

२०--मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्--

"२७-क--(१) धारा ७, १९ और २७ में दी हुई किसी बात के होते हुए भी,--

(क) कोई भी व्यक्ति, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित किए जाने या होने के लिए अनर्हित होगा, यदि वह--

प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने या बने रहने के लिए विधायकों तथा कतिपय पदधारियों पर रोक

(१) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो; या

(२) किसी नगरमहापालिका का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख हो; या

(३) किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट या बाइस प्रेसीडेंट हो; या

(४) किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट हो;

(ख) यदि कोई व्यक्ति, प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में खण्ड (क) के उपखण्ड (१) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए, तो वह अपने निर्वाचन या अपने नाम-निर्देशन की घोषणा के भारत या उत्तर प्रदेश के गजट में प्रथम बार प्रकाशित किए जाने के दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जाएगा, और तदुपरान्त प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी;

(ग) ऐसा कोई भी प्रश्न या विवाद कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है या नहीं, धारा २७ के अधीन न्यायाधीश को न तो अभिदिष्ट किया जाएगा और न उसके समक्ष उठाया जाएगा;

(घ) ऐसे किसी प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (ख) के अधीन प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है, कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायगा।

(२) किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के पश्चात् बाद में, ३० अप्रैल, १९६९ के पूर्व किसी समय उपधारा (१) के खण्ड (क) के उपखण्ड (१) से (४) तक में उल्लिखित किसी पद पर, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हो जाए और उक्त दिनांक के ठीक पूर्व ऐसा पद धारण किए रहे, तो वह उक्त दिनांक को प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर न रह जाएगा, और तदुपरान्त प्रमुख, उप-प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के, जैसी भी दशा हो, पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी और इस प्रकार पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के खण्ड (ग) और (घ) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन पद पर न रह जाने के सम्बन्ध में लागू होते हों, और किसी ऐसे प्रश्न या विवाद के सम्बन्ध में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारा २७ के अधीन न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन कोई अभिदेश या किसी दीवानी न्यायालय में विचाराधीन कोई वाद समाप्त हो जाएगा।"

श्री श्रीशचन्द्र--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २० में नई प्रस्तावित धारा २७-क के भाग (क) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(५) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर।"

श्रीमन्, इसमें यह है कि संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य, किसी नगरमहापालिका का नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख, किसी नगरपालिका बोर्ड का प्रेसीडेंट या वाइस प्रेसीडेंट या किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या किसी नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट आदि प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं किये जायेंगे। यह इस भावना से रखा गया है कि एक व्यक्ति दो पदों पर न रहे। इसी भावना को ध्यान में रख कर मैं चाहता हूं कि यह जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं इनको भी उसमें जोड़ दिया जाय ताकि यह भी दो पदों पर न रह सकें। अगर वे प्रमुख आदि के लिए चुनाव लड़ना चाहें तो उनको अपना एक पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने से प्रजातन्त्र के साथ न्याय होगा। मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने सामान्यतः खंड २७ में जो खंड २७-क जोड़ा गया है उसको स्वीकार किया है। उनका एक संशोधन है कि उसमें जहां १, २, ३, ४ अनर्हतायें दी हुई हैं वहां एक ५वीं अनर्हता यह भी जोड़ दी जाय। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जो नया प्रबन्ध अब सहकारिता विभाग में हो रहा है उसके अन्तर्गत मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ही समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनक संशोधन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

श्री श्रीशचन्द्र--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१–२३

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

२१––धारा १५ या धारा १९ के खण्ड (ख) की कोई बात किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा किसी क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप प्रमुख के ऐसे पद की रिक्ति के सम्बन्ध में लागू न होगी जो ३० अप्रैल, १९६९ के पूर्व हुई हो।

वैधीकरण

२२––दिनांक २६ जून, १९६९ के पूर्व धारा २१ में अभिदिष्ट किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए हुआ प्रत्येक निर्वाचन वैध समझा जाएगा और सदैव से ही वैध समझा जाएगा मानो धारा २१ और इस धारा के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त थे।

निरसन

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ३८, १९६८, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६९ और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९६९ का निरसन

२३––उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६८, उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविध उपबन्ध) अध्यादेश, १९६९ और उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कार्यकाल का विस्तारण और विविधि उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

श्री श्रीशचन्द्र––

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि ३० अप्रैल, १९६९ को सरकार की ओर से अध्यादेश जारी किया गया जिसमें यह किया गया था कि अगर कार्यकाल ६ महीने से कम रह जाय तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा और उसके लिये अध्यादेश निकल जाने के बाद भी बराबर चुनाव होता रहा। मई मास में सरकार की ओर से लापरवाही की गयी और बराबर चुनाव चलते रहे हैं। इस सम्बन्ध में जब चुनाव हो ग तो हाई कोर्ट के सामने रिट याचिका प्रस्तुत हुई। उस याचिका के प्रस्तुत होने के बाद सरकार ने दूसरे अध्यादेश के अन्तर्गत जो धारा २२ में है, जितने चुनाव हुए, उनको वैध घोषित कर दिया है। पहली बात तो यह है कि सरकार ने एक आर्डिनेन्स ईशू किया इस दृष्टिकोण से कि छः महीने के अन्तर्गत चुनाव नहीं होने चाहिये। जिला परिषद् का कार्यकाल ३० जून, १९६९ को समाप्त हो जाता है। जितने निर्वाचन हो गये थे वे नहीं हो सकते थे। उनका कोई निर्देश इस सरकार की ओर से नहीं गया और उस गजट की विज्ञप्ति के विपरीत उन लोगों ने कार्य किया। जिन अधिकारियों ने ऐसा कार्य किया उन लोगों के विपरीत कोई ऐक्शन भी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जो अवैधता की गई उस अवैधता को दूर करने के लिये, एक दूसरा आर्डिनेंस जो धारा २२ में दिया गया वह जारी किया गया। मैं कहता हूं कि जब ऐक्ट मौजूद है, तब ऐक्ट की धारा पर प्रतिबन्ध लगाना मुनासिब नहीं है। अगर आर्डिनेंस के बनाने की बात थी तो आर्डिनेंस को मानना चाहिये था। उस आर्डिनेंस को न मानकर दूसरा आर्डिनेन्स बनाया गया जो मैं समझता हूं प्रजातन्त्र के बिरुद्ध है। इसलिये मैं इसकी अपोज करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मैं माननीय सदस्य की इस उक्ति से सहमत हूं कि खंड २१ और २२ पर जिस अध्यादेश का उन्होंने उल्लेख किया है उसको पुष्टि करने के लिये उसे उपबन्धित किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि खंड २१ में स्पष्ट किया गया है कि ३० अप्रैल, १९६९ यानी जिस दिन अध्यादेश जारी किया गया उसके पहले कहीं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, क्षेत्र समिति के प्रमुख या उप मुख के पद की रिक्ति हो जाय और अगर कहीं चुनाव हुआ तो चुनावों को वैध करने के लिये यहां प्रबन्ध है। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस बात का अधिकार है कि जिलाधिकारी

आकस्मिक रिक्त की दशा में जिलाधिकारी को यह पहिले से शक्ति दी हुई है कि व रिक्ति को भरें। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अधिनियम के अनुसार, जब वह अधिनियमित हुआ कई वर्ष पहिले, जिलाधिकारियों को दायित्व दे रक्खा है कि वे आकस्मिक रिक्तियों को भरें। निर्वाचन अधिकारी होने के नाते वे उन रिक्तियों को भरें। और विधान मंडल के सदस्य चुने जाने के कारण कई जगह अध्यक्षों के स्थानों की रिक्तियां हुईं तो जिलाधिकारियों ने उन अधिकारों का प्रयोग करके वहां चुनाव करा लिये। तो यह धारा स्पष्ट करती है कि अगर जिलाधिकारियों ने ऐसे चुनाव करा लिये अपने अधिकारों द्वारा तो वे वैध होंगे। केवल इस बात की घोषणा यह खंड करती है। तो मैं समझता हूं कि जिलाधिकारियों ने अधिनियम के अधिकारों के अन्तर्गत कहीं किसी जिले या खंड में किसी प्रमुख या उपप्रमुख के चुनाव कराये तो वैध हैं। यही यह खंड घोषित करता है। मुझे आशा है कि इस अधिनियमित अभिप्राय को स्वीकार करते हुए इस विरोध को आप अधिक प्रेस नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ से २३ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत क्षेत्र, समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा। संक्षिप्त नाम

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७*

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्डस (निरसन) विधेयक, १९६७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्डस ऐक्ट, १९१२ का निरसन करने और आनुषंगिक उपबन्ध बनाने के लिए

यू०पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१२

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के अट्ठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ़ वार्ड्स (निरसन) अधिनियम, १९६९ कहलायेगा।

यू०पी०ऐक्ट सं० ४, १९१२ का निरसन और आनुषंगिक उपबन्ध

२—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(१) उक्त ऐक्ट के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपागत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के सम्बन्ध में या उसके निमित्त किसी उपचार या विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में जो यूनाइटेड प्राविंसेज जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों के कारण प्रवृत्त की जाय, जारी रक्खी जाय या समाप्त की जाय, सभी कार्यवाहियों में कोर्ट आफ़ वार्ड्स के स्थान पर बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (जिसे आगे बोर्ड कहा गया है) रख दिया जाय, या इस प्रकार रख दिया गया समझा जाय;

(२) कोर्ट आफ़ वार्ड्स के कार्यों से सम्बद्ध सभी विचाराधीन मामलों का निस्तारण बोर्ड द्वारा किया जायगा।

बोर्ड द्वारा अधिकारों का प्रतिनिधान

३—बोर्ड धारा २ की उपधारा (२) द्वारा अपने में निहित अधिकारों अथवा उनमें से ऐसे अधिकारों को, जिन्हें वह इष्टकर समझे, प्रयोग करने के लिए अपने किन्हीं सदस्यों या अधिकारियों अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से उक्त सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है।

---

*२४ जुलाई, १९६९ को कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यूनाइटेड प्राविंसेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७ जैसा कि वह विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यूनाइटेड प्राविन्सेज कोर्ट आफ वार्ड्स (निरसन) विधेयक, १९६७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज भाषा अनुपूरक उपबंध विधेयक, १९६९*

न्याय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज भाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन निम्नलिखित, अर्थात्--

(क) मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पारित उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम का, या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यूनाइटेड प्राविंसेज या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी भाषा में जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का,

गजट में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा। अधिनियमों, नियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (ख) के अन्तिम वाक्य में 'गजट' में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद' के पश्चात् के शब्द 'हिन्दी भाषा में' हटा दिये जायं।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हिन्दी भाषा को इस उच्च स्थान पर पहुंचाने का श्रेय हमारे इस प्रदेश को ही रहा है और सी प्रदेश को हिन्दी की कीर्ति कौमुदी प्रसारित करने का श्रेय रहा है। भारत के हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, साहित्यिक और भाषाविद यहीं उत्पन्न हुये हैं।

---

*२२ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

आप जानते हैं कि इस प्रदेश की जनता की जो हिन्दी भाषा के विषय में भावनायें थीं उनका आदर करते हुए ही इस सदन ने हिन्दी को राज्य भाषा स्वीकार किया था और उसके बाद पूरे देश की राष्ट्रभाषा भी हिन्दी स्वीकार की गई। यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है और इसके दूसरे खंड के (ख) में जो कहा गया है कि 'गजट में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ समझा जायगा।' यह यहां असंगत मालूम होता है और भाषा की दृष्टि से भी इसमें पुनरुक्ति दोष है इसलिये इसमें से शब्द 'हिन्दी भाषा में' निकाल दिए जायं। इसमें केवल पुनरुक्ति दोष ही नहीं है बल्कि इसमें दूसरी भावना भी छिपी है। अगर आप इसके उद्देश्यों और कारणों को देखें, उसमें लिखा हुआ है कि "राज्य के उन सभी अधिनियमों, विनियमों, नियमों आदि के प्रामाणिक हिन्दी पाठ उपलब्ध हों, जो मूल रूप से अंग्रेजी में बनाए गये थे। तो इससे पुनरावृत्ति होगी और दूसरे जो हिन्दी का स्थान है वह उसको प्राप्त न हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

अगर यहां से शब्द "हिन्दी भाषा में" हटा दिए जायं तो संविधान की धारा ३४८ की अवहेलना होगी। क्योंकि संविधान में इंगलिश की हिन्दी बनेगी। इससे यह कठिनाई होगी। यह जो माननीय सदस्य का विचार है कि इससे डुप्लीकेशन होगा यह उचित नहीं होगा बल्कि इससे धारा ३४८ संविधान डिस्टर्ब होगी तो मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इस अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

मुझे अब भी इसमें शंका है लेकिन जैसा माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, उनके कहने के अनुसार मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३, ४, १ प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

मूल रूप से अंग्रेजी में पारित कतिपय विधियों का प्रमाणिक हिन्दी पाठ प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिए, और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ ई० का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

धारा २ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५१

३—उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९५१ की धारा २ में शब्द "इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर" निकाल दिए जाएं, और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी ।"

राष्ट्रपति अधिनियम सं० १०, १९६८

४—(१) उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, १९६८ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

उ० प्र० अध्यादेश संख्या १, १९६८

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अथवा उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, १९६८ के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम २५ जनवरी, १९६८ को प्रारम्भ हुआ हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३, ४, १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध), विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) विधेयक, १९६९, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

गाजियाबाद में अजन्ता फिल्म उद्योग की स्थापना करके किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि को अधिगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य की समाप्ति

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों द्वारा यह प्रश्न उपस्थित किया गया था वे आज मौजूद नहीं हैं, इसलिए यह समाप्त हुआ।

देहरादून नगर के बीच ऋषिपर्णा नदी में ट्रैक्टर की ट्राली बह जाने से ४० व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

इस पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री को वक्तव्य देना है। श्री इंद्र पाल जी खड़े हो गये हैं, इसलिये इस पर वक्तव्य वे दिया जाय ।

उद्योग मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

ऋषिपर्णा नदी, देहरादून नगर के पश्चिमी कोने से गुजरती है और सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो सड़कों को, देहरादून–रायपुर रोड को अथोई वाला क पास व देहरादून–ऋषिकेश सड़क को

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

धरमपुर के पास काटती हुई जाती है। यह एक बरसाती नदी है। वर्षाकाल में अतिवृष्टि के कारण जब कभी पानी बढ़ जाता है तब थोड़े काल के लिये यातायात रुक जाता है। साधारणतया सूखे मौसम के अतिरिक्त वर्षाकाल में भी यातायात को गुजरने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। अतः इन दोनों सड़कों पर कथित स्थानों पर यातायात के गुजरने के लिये रपटें (काजवे) बने हुए हैं।

पिछले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में वर्षा अधिक हुई और दिनांक १८ तथा १९ अगस्त, १९६९ को निरन्तर वर्षा होने के कारण ऋषिपर्णा नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से ७ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है।

१९ अगस्त को देहरादून–रायपुर सड़क पर अधोईवाला के निकट एक राहगीर नदी के बहाव में बह गया जिसका शव दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग ३ फर्लांग नीचे मिला। उसी दिन देहरादून–ऋषिकेश सड़क पर धरमपुर के निकट रपटे पर डोईवाला शुगर मिल की एक एम्बेस्डर गाड़ी जो देहरादून से ऋषिपर्णा नदी के उस पार डोईवाला जाना चाहती थी, फ़ंस गई। इस स्थान पर नदी का पाट लगभग एक फर्लांग चौड़ा है और पानी की धारा दो भागों में विभाजित है। पहली धारा में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम था किन्तु मोटर गाड़ी के साइलेंसर में पानी भर जाने से गाड़ी का इंजन बन्द हो गया। मोटर गाड़ी के फ़ंस जाने से उसकी सहायता के लिए शुगर मिल का एक ट्रैक्टर मय ट्राली के उस स्थान पर आया और नदी की पहली धारा पार करके रपटे पर जहां थोड़ा सा सूखा स्थान था उस पर उसे रोक कर ट्राली के पिछले भाग से रस्से से मोटर गाड़ी को बांध कर नदी पार करने की चेष्टा करने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ है कि एक बार प्रयास करने पर रस्सा टूट गया। दुबारा रस्सा बांध कर मोटर गाड़ी को खींच कर नदी पार करने का प्रयास किया गया। नदी में इस बीच बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया और धारा वेगपूर्ण हो गई। इस ट्रैक्टर के पीछे ट्राली में लगभग २५ व्यक्ति जो नदी के उस पार जाने के लिये इच्छुक थे, बैठे थे। जैसे ही टैक्टर नदी की प्रमुख धारा में पहुंचा पीछे बंधी मोटर गाड़ी रपटे से नीचे बह कर चली गई और साथ ही उसके झटके के फलस्वरूप ट्रैक्टर भी ट्राली सहित नदी में उलट गया। मोटर गाड़ी सीधी ही थी उसमें बैठे चार सवारियों में से तीन तो बचा कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई किन्तु चौथी सवारी बाढ़ की लपेट में आ गईं। ट्राली में बैठी हुई सभी सवारियां नदी की प्रमुख धारा में बह गईं जिसमें से २१ बचा ली गईं। एक लड़की ट्राली के नीचे दब गई थी। उसका शव उसी रात ११ बजे पुलिस द्वारा निकाला जा सका।

इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक पर्याप्त पुलिस कर्मचारियों को साथ में लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और सहायता व खोज कार्य आरम्भ कर दिया। सारी रात सर्चलाइट इत्यादि द्वारा डूबे हुए व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास जारी रहा। कुल २४ व्यक्तियों को डूबने से बचा लिया गया। उपरोक्त लड़की जो ट्राली के नीचे दब गई थी व मोटरकार में बैठे एक व्यक्ति की लाश के अतिरिक्त चार अन्य लाशें नदी में विभिन्न स्थानों से निकाली गई। इनमें तीन लड़कियों की लाशें थीं। एक बच्चे की लाश भी मिली जो पहचानी नहीं जा सकी। बच्चे को छोड़ कर सभी शव उनके सरपरस्तों को दे दिये गये। बच्चे की अन्त्येष्टि का प्रबन्ध पुलिस द्वारा किया गया। पूछ ताछ करने पर यह भी विदित हुआ कि यह बच्चा ट्राली की सवारियों में नहीं था और कदाचित कहीं ऊपर से बह कर आया था। धन की कमी तथा अन्य आर्थिक विचारों से सभी पहाड़ी नदियों तथा नाले पर ऊंचे पुलों का बनवाना सम्भव नहीं है। ऐसे स्थानों पर जहां ट्रैफिक में रुकावट बहुत कम तथा थोड़ी देर के लिए ही होती है, काजवे ही बनाये जाते हैं।

देहरादून–रायपुर सड़क पर ऋषिपर्णा नदी पर काजवे के स्थान पर एक पुल के निर्माण कार्य को इस चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को एक सूचना देनी है। मैं नया सदस्य हूं और मेरे जिले में कुछ ऐसी ज्यादतियां हुई हैं जिनकी बहुत कुछ जिम्मेदारी इस सरकार पर मुख्यतः मुख्य मन्त्री पर है। मैंने कई बार आप से प्रार्थना की.....

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कीजिये।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले एलेक्शन में फ़िर चुन कर न आऊं तो मुझे इजाजत न दीजिये। मैंने कई बार लिख कर दिया, कोआपरेटिव के बारे में, जिला परिषद् के बारे में। मुख्य मन्त्री जी मौजूद हैं, उप मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। कृपा कर मुझे कहने दीजिये।

उप मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

अभी एक सवाल पेश है, उस पर प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

देहरादून शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रायपुर में भी है वहां से कितने ही लड़के देहरादून पढ़ने आते हैं और इस नदी में हमेशा ही ऐसी घटनायें होती हैं। तो जिस योजना की बाबत उन्होंने कहा है कि पुल बनायेंगे क्या मंत्री जी सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि पुल जल्दी से जल्दी बनाया जायगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)---

अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जहां का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वहां पर काफ़ी चौड़ा काजवे बना हुआ है जिसमें कभी इस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं थी। लेकिन उसमें करीब आधा काज वे ऐसा है जिस पर दोनों तरफ़ दुकानें और चूने के भट्ठे बने गये हैं जिसकी वजह से पानी रुक कर थोड़ी सी धार में से आता है। कुदरती बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब पानी का वेग बहुत तेज होता है और साथ ही साथ उसका वाल्यूम भी बढ़ जाय, उस वक्त अगर उस में से लोग पास होंगे तो दुर्घटना होने की गुंजायश बढ़ जायगी। तो कुछ दिनों से इस प्रकार की दुर्घटनायें हो रही हैं। जल्दी ही वहां पुल बन जाय यह ठीक है, यह तो विचार होगा ही लेकिन कुछ रुकावटें भी होती हैं। बाद में, जैसी पालिसी है, वहां पर हर वक्त टोल लगा करेगा जिसकी वजह से दिक्कत होगी। जरा इसको भी विचार कर लें तब निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

जैसा कि मंत्री जी ने सदन में वक्तव्य दिया है पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े तेज प्रवाह से बहने वाली नदियों को देखते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि जिन स्थानों पर काज-वे बने हुये हैं अगर उससे कम खर्च में पुल बन सकते हों तो उसका सर्वेक्षण कराने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेंगे?

चौधरी गिरधारीलाल---

हमेशा इस बात पर विचार किया जाता है और आगे भी विचार किया जायगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लारी जा रही थी उसके ड्राइवर ने बहती हुई नदी को सीधे पार करने की कोशिश की थी और क्या वह शराब पिये हुए था?

चौधरी गिरधारी लाल--

मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ठीक तरह से समझे नहीं। वह एक कार थी। जिस वक्त उसके साइलेन्सर में पानी घुस गया तो बाद उसको खींचने के लिए एक ट्रैक्टर आया। उसमें एक ट्राली लगी हुई थी जिसमें दो पहिये थे। उसमें २५ आदमी बैठे थे और एम्बासडर कार में चार सवारियां थीं। जिस वक्त वह काजवे के ऊपर से गुजरने लगी तो कार पानी में इतने नीचे बही कि उसने ट्राली को खींचा और ट्राली ने ट्रैक्टर को भी खींचा। इस तरह से वह दोनों उलट गये।

श्री इन्द्रलाल--

जहां यातायात के लिये काज-वे बने हुये हैं वहां बरसात में पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है। क्या यह सही है कि जिस वक्त ऐसी बाढ़ में वह ट्राली और ट्रैक्टर आये तो वहां पर ऐसा इन्तजाम सरकार की ओर से नहीं था जो उनको दुर्घटना से बचाया जा सकता?

चौधरी गिरधारी लाल--

वहां इस बात का प्रबन्ध था कि काज-वे के ऊपर एक स्केल लगा हुआ था जो कि एक लाल निशान के जरिये उसके डेन्जर प्वाइंट को बतलाता है। तो उस वक्त सवारियों को नहीं जाना चाहिये था।

श्री गुलाब सिंह (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से वे यहां पर पुल के निर्माण की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से देहरादून में सोरमा नदी पर पुल बनवाने की कृपा करेंगे?

चौधरी गिरधारी लाल--

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में कहा गया कि तमाम पहाड़ी इलाकों में यह समस्या है और साधनों की उपलब्धि के हिसाब से इस प्रकार के काम किये जाते हैं। लेकिन केवल २-३ महीनों की रुकावट की वजह से १०-१५ लाख का पुल वहां बनवा दिया जाय तो गरीब लोगों को टोल के कारण उनसे गुजरने में रुकावट होगी, इसलिये "काज-वे" आदि बनाये जाते हैं जिससे लोगों को जाने आने में सहूलियत हो सके।

श्री इन्द्रमणी--

क्या माननीय मन्त्री जी वहां पर पुल बनवाने की योजना पर विचार करेंगे? जब वहां पर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था, गाड़ी फंसी हुई थी, फिर उस को वहां से ले जाने का प्रयास करना, क्या जानबूझ कर उनकी हत्या करने की बात नहीं सोची गयी?

चौधरी गिरधारी लाल--

अध्यक्ष महोदय, वहां पर यह आम रिवाज है। लेकिन अगर लोग स्वयं ही मौत के मुंह में कूदना चाहें तो कौन उसकी रक्षा कर सकता है? कोई भी कानून या और कोई बात उसकी रक्षा नहीं कर सकता। जब पानी तेज होता है तो वहां कभी कोई नहीं जाता है। अगर खाली कार होती तो वह तेजी से निकल भी जाती। लेकिन वहां पर कार थी, ट्रैक्टर थे और ट्राली भी थी, तीन-तीन चीजें कैसे जा सकती थीं। स्वाभाविक था कि ऐसी दुर्घटना हो जाती। ऐसी दुर्घटनायें हर जगह होती हैं और उनका रोका जाना मुश्किल होता है।

श्री अध्यक्ष--

शिया सुन्नी के झगड़े से सम्बद्ध विषय में नियम ५२ के अन्तर्गत एक चर्चा थी। क्योंकि माननीय रियासत हुसैन तथा मोहम्मद असरार अहमद यहां नहीं हैं, इसलिये वह समाप्त हो गया।

रुद्रपुर नगरपालिका, जिला नैनीताल में रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ में मैंने एक इन्द्रलाल जी का स्वीकार किया है कि रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट को वहां लागू कर दिया जाय। माननीय रसद मंत्री जी इस पर १६ सितम्बर को वक्तव्य देंगे।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में थाने के करीब हुए कत्ल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तगत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक और श्री प्रियदर्शी जैटली का मंजूर किया था। अकबरपुर, जिला फैजाबाद में थाने से २०० गज की दूरी पर दिन दहाड़े कत्ल हुआ है। इस सूचना को मैंने ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी जिस दिन उनको सुभीता होगा, वक्तव्य देंगे।

सुल्तानपुर जिला परिषद् के कार्यों के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार का भाषण

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में जिला परिषद् के इस उप चुनाव में ऐसे अध्यक्ष चुने गये हैं जो वकील हैं लेकिन उनकी कार्य प्रणाली से ऐसा मालूम होता है कि कायदे कानून और नियमों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद तुरन्त के तुरन्त तमाम अध्यापकों का स्थानान्तरण कर दिया। इसके बाद बी० टी० सी० की लिस्ट उनको बनानी पड़ी तो तमाम नियमों की अवहेलना करके गलत लिस्ट बनाई गई। उनसे कहा गया कि कानून का सहारा लिया जाय लेकिन फिर भी वे नहीं माने। फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा गया तो सरकार ने उनकी लिस्ट को अवैधानिक करार दिया और शिक्षा अधीक्षक को लिस्ट बनाने का अधिकार दिया। अध्यक्ष ने जो लिस्ट बनाई उस लिस्ट को प्रमाणित न करने के कारण वहां के उप जिला विद्यालय निरीक्षक को हटा दिया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक को भी बदल दिया गया क्योंकि उन्होंने जिला परिषद के अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई गलत लिस्ट पर दस्तखत नहीं किये। लेकिन अनुनय विनय करने के बाद उस को स्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, १५ अगस्त, को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से ४५ अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी जब कि न तो छात्रों की संख्या कम हुई और न अध्यापकों की संख्या बढ़ी और उनकी सेवायें समाप्त करने का नोटिस ही दिया गया। इसके लिये हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ। आपने शिक्षा मंत्री जी से वक्तव्य देने के लिये कहा है। हम देखते हैं कि सूबे के कोने कोने से सूचना मंगा ली जाती है और मंत्री महोदय वक्तव्य सदन में दे देते हैं। लेकिन सुल्तानपुर यहां से केवल ८० मील दूर है और वहां से सूचना नहीं मांगाई गई। मंत्री महोदय ने रिपोर्ट दे दी है कि मैं इसके बारे में आज कोई रिपोर्ट नहीं दे सकता हूं। ४५ अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं। ऐसी भयानक स्थिति है। एक दिन के लिये अपने जिले में गया था तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया गया। इस मामले में न तो उप विद्यालय निरीक्षक और न जिला विद्यालय निरीक्षक से राय ली गई न मेम्बरों से ली गई और न संबंधित अधिकारियों से ही राय ली गई। ऐसी निरंकुश घटनायें घटती हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं चाहूंगा कि माननीय नियोजन मंत्री और शिक्षा मंत्री जी इस पर ध्यान दें। मेरा आप के द्वारा सारे सदन से अनुरोध है कि ऐसी निरंकुशता को रोका जाय।

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, अब मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम खत्म हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब यह हाउस साइन-डाई खत्म हो।

श्री अध्यक्ष--

आगे के कार्यक्रम के बारे में क्या होगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, वह तो मैंने कहा था कि हम लोग कैबिनेट में देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रस्ताव ले आइये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आज हाउस अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

श्री वासुदेव (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, सदन में अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस आया था। अगर वह सीधे सचिव के पास गया होता और यहां न उठाया गया होता तब तो दूसरी बात थी। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि वह स्थिति साफ हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

वह तो मैंने कहा था कि हम दोनों सोचेंगे। अभी इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे उनकी भावनाओं का पूरा अहसास है। किन परिस्थितियों में क्या-क्या उस दिन हुआ, और किस प्रकार की इस सदन में परिस्थितियां गुजरीं, उनमें आपने इधर और उधर सब को माफ कर दिया और अब अध्यक्ष जी क्या किया, उपाध्यक्ष जी ने क्या किया, उसके विषय में माननीय सदस्यों ने कुछ कह डाला। वह विषय जब सदन बैठेगा, जब सदन बुलाया जायगा, तब उसके ऊपर विचार कर लेंगे। उसमें ओवर सेंसिटिव होने की क्या आवश्यकता है? बहुत सी जगह से खदेड़े गये हैं आप। अब यहां से खदेड़ने की नौबत आ जाय तो कौन भागने की आवश्यकता है और क्यों परेशान रहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष--

लेकिन इसके ऊपर, मैं समझता हूं यह भी बहुत दिन तक उपाध्यक्ष जी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता होगी।

प्रश्न मैं आप के सामने रख देता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन २ बज कर ५० मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊः
३० अगस्त, १९६९।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा